बिल से आज़ादी!

एक निश्चित लाभ देनेवाला हेल्थ प्लान जो आपको भुगतान करता है, अस्पताल को नहीं – चिकित्सा के वास्तविक ख़र्चे चाहे जो भी हों।

प्रस्तुत है

एलआईसी हेल्थ शील्ड

यूआईएन: 512N369V01 | प्लान नं.: 907

नॉन–पार, नॉन–लिंक्ड, हेल्थ, व्यक्तिगत, शुद्ध जोखिम प्लान

पॉलिसी के लाभ:

- ☑ एक व्यापक प्लान जो आपके संपूर्ण परिवार को कवर करता है
- ☑ निश्चित दैनिक हॉस्पिटल कैश लाभ
- ☑ गंभीर बीमारियों और शल्य चिकित्साओं के लिए एकमुश्त भुगतान
- ☑ मेडिकल बिलों से आगे जाकर आय का आधार
- ☑ दावा–मुक्त वर्षों के लिए वृद्धिशील लाभ

LIC/R1/2026-27/07/Hin/SB

ऑनलाइन भी उपलब्ध है

क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और My LIC App डाउनलोड करें

विज़िट करें: licindia.in

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेन्ट/अपनी निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें/www.licindia.in पर जाएं

हमें यहाँ फ़ॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

एलआईसी की हेल्थ शील्ड
(यूआईएन: 512N369V01)
(एक असहभागी, असंबद्ध, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत, शुद्ध जोखिम योजना)

एलआईसी की हेल्थ शील्ड एक असहभागी, असंबद्ध, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत, शुद्ध जोखिम योजना है। यह एक नियमित प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निर्दिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों के विरुद्ध निश्चित हितलाभ बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।

कोई व्यक्ति अपने लिए बीमा सुरक्षा ले सकता है। इस व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत मुख्य बीमित व्यक्ति (पीआई) के रूप में संबोधित किया जाएगा। मुख्य बीमित व्यक्ति के जीवनसाथी, बच्चों और माता–पिता को भी इसी पॉलिसी के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।

यह एक असहभागी उत्पाद है जिसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने और विभिन्न शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के मामले में देय हितलाभ निश्चित हैं, चाहे वास्तविक खर्च कुछ भी हों। इस योजना को बोनस आदि जैसे किसी विवेकाधीन हितलाभ या अधिशेष में हिस्सेदारी की पात्रता नहीं है।

यह योजना लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, दलालों, बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑफलाइन तथा सीधे वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से ऑनलाइन खरीदी जा सकती है।

संभावित पॉलिसीधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे खरीद संबंधी निर्णय लेते समय संबंधित जोखिमों और हितलाभों सहित उत्पाद की विशेषताओं का संदर्भ ले सकते हैं और वह उत्पाद चुन सकते हैं, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सर्वोत्तम हो।

1. प्रमुख विशेषताएँ :

- प्रीमियमें **पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान** गारंटीकृत हैं।
- वास्तविक चिकित्सा खर्च की परवाह किए बिना निश्चित एकमुश्त या दैनिक हितलाभ।
- दावा–रहित हितलाभ के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा में वृद्धि।
- मूल मुख्य बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने के मामले में अन्य बीमित (बीमितों) के लिए प्रीमियम छूट हितलाभ।
- किसी भी बीमित व्यक्ति द्वारा प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ अनुलग्नक में सूचीबद्ध श्रेणी 1 या श्रेणी 2 के अंतर्गत आने वाली शल्य चिकित्सा करवाने की स्थिति में एक वर्ष के लिए प्रीमियम छूट हितलाभ।
- राइडर के लिए अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर राइडर हितलाभों का विकल्प चुनकर सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।
- उच्च प्रारंभिक दैनिक हितलाभ के लिए आकर्षक प्रोत्साहन–राशि।

इस योजना के अंतर्गत हितलाभ **लागू दैनिक हितलाभ (एडीबी)** के संदर्भ में देय हैं। **लागू दैनिक हितलाभ** समान पॉलिसी के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित परिवार के प्रत्येक सदस्य के संबंध में बीमा सुरक्षा के आरंभ के समय चुने गए प्रारंभिक दैनिक हितलाभ के बराबर होगा। प्रारंभिक दैनिक हितलाभ की राशि नीचे अनुच्छेद 2.V में निर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत, आवश्यकता के अनुसार रु. 2,500 से रु.10,000 (रु. 500 के गुणकों में) से चुनी जा सकती है। नीचे अनुच्छेद 3.बी.1 में निर्दिष्ट दावा–रहित हितलाभ के माध्यम से लागू दैनिक हितलाभ (एडीबी) में वृद्धि हो सकती है।

यह योजना अस्पताल नकद हितलाभ, प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ, डे केयर प्रक्रिया हितलाभ, अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ, चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ, विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ और स्वास्थ्य जाँच हितलाभ प्रदान करती है, जैसा कि नीचे अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट है।

2. पात्रता शर्तें और अन्य प्रतिबंध :

1. प्रवेश पर न्यूनतम / अधिकतम आयु :

बीमित व्यक्ति	**प्रवेश पर न्यूनतम आयु**	**प्रवेश पर अधिकतम आयु**
मुख्य बीमित व्यक्ति	18 वर्ष (अंतिम जन्मदिन)	65 वर्ष (अंतिम जन्मदिन)
बीमित जीवनसाथी/ माता–पिता	18 वर्ष (अंतिम जन्मदिन)	65 वर्ष (अंतिम जन्मदिन)
बीमित बच्चे	90 दिन (पूर्ण)	20 वर्ष (अंतिम जन्मदिन)

2. पॉलिसी अवधि : 15 वर्ष

3. बीमा सुरक्षा अवधि और अधिकतम बीमा सुरक्षा समाप्ति आयु :

सदस्य	**बीमा सुरक्षा अवधि**	**अधिकतम बीमा सुरक्षा समाप्ति आयु**
मुख्य बीमित व्यक्ति / बीमित माता–पिता	15 वर्ष	80 वर्ष (अंतिम जन्मदिन)
बीमित जीवनसाथी	बकाया पॉलिसी अवधि, न्यूनतम पांच वर्ष के अधीन	80 वर्ष (अंतिम जन्मदिन)
बीमित बच्चे	बकाया पॉलिसी अवधि, न्यूनतम पांच वर्ष के अधीन	35 वर्ष (अंतिम जन्मदिन)

4. प्रीमियम भुगतान अवधि : 15 वर्ष

5. प्रारंभिक दैनिक हितलाभ (आरंभ में / जीवनसाथी या बच्चों को पॉलिसी में शामिल करने पर, जैसा भी लागू हो):

प्रारंभिक दैनिक हितलाभ	मुख्य बीमित व्यक्ति (पीआई)	बीमित जीवनसाथी (यदि कोई हो), बीमित माता–पिता (यदि कोई हों)	बीमित बच्चे (यदि कोई हों)
न्यूनतम प्रारंभिक दैनिक हितलाभ	रु.2,500/–	रु.2,500/–	रु.2,500/–
अधिकतम प्रारंभिक दैनिक हितलाभ	रु.10,000/– प्रति जीवन*	बीमित जीवनसाथी– पीआई से कम या बराबर बीमित माता–पिता– बीमित जीवनसाथी (पीआई, यदि कोई बीमित जीवनसाथी नहीं है) से कम या बराबर। इसके अलावा, शामिल माता–पिता को समान हितलाभों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।	बीमित जीवनसाथी (पीआई, यदि कोई बीमित जीवनसाथी नहीं है) से कम या बराबर। इसके अलावा, शामिल बच्चों को समान हितलाभों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
प्रारंभिक दैनिक हितलाभ रु.500/– के गुणक में होगा *इस योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जारी की गई सभी पॉलिसियों के अंतर्गत कुल प्रारंभिक दैनिक हितलाभ रु.10,000/– से अधिक नहीं होगा।			

टिप्पणी :

1. किसी बीमित के संबंध में बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि वह तिथि है, जिस दिन निगम जोखिमांकन के बाद उस बीमित के संबंध में बीमा (बीमा–सुरक्षा) के लिए जोखिम स्वीकार करता है।

2. यदि दोनों अभिभावक (पिता और माता) जीवित हैं और बीमा सुरक्षा के लिए पात्र हैं, तो या तो उन दोनों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी या उनमें से किसी को भी बीमा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। पीआई के पास उनमें से एक को चुनने का कोई विकल्प नहीं होगा। इसी प्रकार सभी पात्र बच्चों को आरंभ में बीमा सुरक्षा प्रदान की जानी होगी या उनमें से किसी को भी बीमा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। यदि पॉलिसी के आरंभ में मौजूदा जीवनसाथी और/या सभी पात्र बच्चों और/या पीआई के माता–पिता को बीमा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो उन्हें बाद में पॉलिसी के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।

3. चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ :

ए. अस्पताल में भर्ती पर हितलाभ :

1. अस्पताल नकद हितलाभ (एचसीबी) :

दुर्घटनावश शारीरिक चोट या बीमारी पहली बार बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि को या उसके बाद और बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान होने या प्रकट होने की स्थिति में, जिसके कारण किसी बीमित व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने की अवधि 24 घंटे की लगातार अवधि से अधिक हो जाती है, तो वास्तविक खर्च की परवाह किए बिना दैनिक हितलाभ निम्नानुसार देय है :

ए) अस्पताल के सामान्य या विशेष वार्ड (यानी नॉन–आईसीयू वार्ड/कमरे) में भर्ती होने के मामले में :

24 घंटे की प्रत्येक लगातार अवधि या उसके किसी भाग (24 घंटे पूर्ण होने के बाद) के लिए लागू **दैनिक हितलाभ**, बशर्ते ऐसा कोई भी आंशिक रूप से रहना अस्पताल में भर्ती होने की 4 घंटे की लगातार अवधि से अधिक हो, जो पूर्णतः उक्त दुर्घटनावश शारीरिक चोट या बीमारी के कारण आवश्यक हुआ हो, देय होगा।

बी) अस्पताल के आईसीयू में भर्ती होने के मामले में :

24 घंटे की प्रत्येक लगातार अवधि या उसके भाग (24 घंटे पूर्ण होने के बाद) के लिए लागू **दैनिक हितलाभ का दो गुना**, बशर्ते ऐसा कोई भी आंशिक रूप से रहना अस्पताल की आईसीयू में भर्ती होने की 4 घंटे की लगातार अवधि से अधिक हो, जो अस्पताल में भर्ती होने की किसी भी अवधि के दौरान पूर्णतः उक्त दुर्घटनावश शारीरिक चोट या बीमारी के कारण आवश्यक हुआ हो, देय होगा।

सी) गैर–आईसीयू और आईसीयू वार्ड/कमरे में संयुक्त रूप से रहना :

अस्पताल में भर्ती होने की 24 लगातार घंटों की एक अवधि (अर्थात एक दिन) के दौरान, यदि उक्त अस्पताल में भर्ती होने में अस्पताल की आईसीयू के साथ–साथ अस्पताल के किसी अन्य आंतरिक रोगी (गैर–आईसीयू) वार्ड में रहना शामिल था, तो निगम हितलाभों का भुगतान इस प्रकार करेगा जैसे कि भर्ती आईसीयू में की गई थी, बशर्ते कि आईसीयू में अस्पताल में भर्ती होने की अवधि कम से कम 4 लगातार घंटे थी।

2. प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ (एमएसबी) :

किसी बीमित व्यक्ति द्वारा, चिकित्सकीय आवश्यकता के कारण, दुर्घटनावश शारीरिक चोट या बीमारी पहली बार उस बीमित के संबंध में बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि को या उसके बाद और बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान होने या प्रकट होने के कारण अस्पताल में प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ अनुलग्नक में सूचीबद्ध किसी निर्दिष्ट शल्य चिकित्सा से गुज़रने

की स्थिति में, प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ अनुलग्नक में उल्लिखित प्रत्येक पात्र शल्य चिकित्सा के सामने निर्दिष्ट प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ बीमा राशि का एक प्रतिशत, वास्तविक खर्च की परवाह किए बिना, देय होगा। प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ बीमा राशि प्रत्येक बीमित के संबंध में उस पॉलिसी वर्ष के लिए लागू दैनिक हितलाभ के 100 गुना के बराबर है।

अस्पताल नकद हितलाभ का भुगतान अस्पताल में रहने की अवधि के आधार पर एकमुश्त प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ के अतिरिक्त किया जाएगा।

इसके अलावा, प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ भी उपलब्ध होंगे :

ए. एंबुलेंस हितलाभ :

यदि प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ देय है और एंबुलेंस द्वारा आपातकालीन परिवहन लागत खर्च की गई है, तो एंबुलेंस खर्चों के बदले में रु.1,000 की एक अतिरिक्त एकमुश्त देय राशि होगी।

बी. एक वर्ष के लिए प्रीमियम छूट हितलाभ :

यदि किसी बीमित के संबंध में श्रेणी 1 या श्रेणी 2 (जैसा कि प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ अनुलग्नक में उल्लिखित है) के अंतर्गत आने वाला प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ देय है, तो शल्य चिकित्सा की तिथि को मेल खाने वाली या उसके बाद अगली देय किस्त प्रीमियम की तिथि से सभी बीमित (बीमितों) के संबंध में मूल पॉलिसी के अंतर्गत एक वर्ष के लिए किस्त प्रीमियमें माफ कर दी जाएंगी। हालांकि, यदि मुख्य बीमित व्यक्ति / बीमित जीवनसाथी के जीवन पर किसी राइडर के संबंध में प्रीमियम, यदि इसे चुना गया है, माफ नहीं की जाएगी और संबंधित राइडर शर्तों के अनुसार उसका भुगतान जारी रखना होगा।

समान पॉलिसी वर्ष में श्रेणी 1 या श्रेणी 2 के अंतर्गत आने वाले एकाधिक एमएसबी दावों (एकाधिक/समान बीमित के संबंध में) के मामले में, प्रीमियम छूट हितलाभ पॉलिसी वर्ष के दौरान केवल एक बार उपलब्ध होगा, अर्थात पहली शल्य चिकित्सा की तिथि को मेल खाने वाली या उसके बाद अगली देय प्रीमियम को एक वर्ष के लिए माफ किया जाएगा।

सी. प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ बहाली :

यदि किसी बीमित के संबंध में किसी पॉलिसी वर्ष में उस पॉलिसी वर्ष में पिछले प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ दावों के कारण प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ बीमा राशि समाप्त हो जाती है, तो उस पॉलिसी वर्ष में प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ बीमा राशि की समाप्ति के बाद अगला प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ दावा

(अर्थात प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ अनुलग्नक में उल्लिखित किसी निर्दिष्ट शल्य चिकित्सा के मामले में) बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जो इस शर्त के अधीन होगा :

1. बाद का प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ दावा उस पॉलिसी वर्ष में पिछले प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ दावों से उत्पन्न या उनके कारण नहीं होना चाहिए।

2. बाद का प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ दावा उस पॉलिसी वर्ष में किसी भी पिछले प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ दावों की तुलना में एक अलग श्रेणी/बकेट (उदाहरण के लिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पाचन तंत्र आदि) के लिए होना चाहिए।

3. बाद का प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ दावा उस पॉलिसी वर्ष में किसी भी पिछले प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ दावों की तुलना में एक अलग प्रक्रिया (उदाहरण के लिए सीएबीजी, पैनक्रिएटोलिथोटॉमी आदि) के लिए होना चाहिए।

3. डे केयर प्रक्रिया हितलाभ (डीसीपीबी) :

किसी बीमित व्यक्ति द्वारा, चिकित्सकीय आवश्यकता के कारण, दुर्घटनावश शारीरिक चोट या बीमारी पहली बार उस बीमित के संबंध में बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि को या उसके बाद और बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान होने या प्रकट होने के कारण अस्पताल या डे केयर सेंटर में डे केयर प्रक्रिया हितलाभ अनुलग्नक में उल्लिखित किसी निर्दिष्ट डे केयर प्रक्रिया से गुज़रने की स्थिति में, लागू दैनिक हितलाभ के 5 गुना के बराबर एकमुश्त राशि, वास्तविक लागत की परवाह किए बिना, देय होगी।

4. अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ (ओएसबी) :

किसी बीमित व्यक्ति द्वारा, चिकित्सीय आवश्यकता के कारण, दुर्घटनावश शारीरिक चोट या बीमारी पहली बार उस बीमित व्यक्ति के संबंध में बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि को या उसके बाद और बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान होने या प्रकट होने के कारण अस्पताल में प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ या डे केयर प्रक्रिया हितलाभ के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं की गई किसी भी शल्य चिकित्सा से गुज़रने की स्थिति में, जिसके कारण बीमित व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने की अवधि 24 घंटे की लगातार अवधि से अधिक हो जाती है, तो, लागू दैनिक हितलाभ के 2.5 गुना के बराबर दैनिक हितलाभ, 24 घंटे की प्रत्येक लगातार अवधि या उसके भाग के लिए वास्तविक खर्च की परवाह किए बिना देय होगा, बशर्ते ऐसा कोई भी आंशिक रूप से रहना अस्पताल में भर्ती होने की 4 घंटे की लगातार अवधि से अधिक हो।

अस्पताल नकद हितलाभ का भुगतान अस्पताल में रहने की अवधि के आधार पर अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ के अतिरिक्त किया जाएगा।

5. **चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ (एमएमबी) :**

किसी बीमित व्यक्ति द्वारा, उस बीमित व्यक्ति के संबंध में बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि को या उसके बाद और बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान पहली बार होने या प्रकट होने वाली निम्नलिखित प्रमुख चिकित्सा स्थितियों के कारण, आंतरिक रोगी अस्पताल भर्ती से गुज़रने की स्थिति में, लागू दैनिक हितलाभ के 2.5 गुना का एकमुश्त, वास्तविक खर्च की परवाह किए बिना, देय होगा।

ए. डेंगू

बी. मलेरिया

सी. निमोनिया

डी. पल्मोनरी ट्यूबरक्युलोसिस

ई. वायरल हेपेटाइटिस ए

अस्पताल नकद हितलाभ का भुगतान अस्पताल में रहने की अवधि के आधार पर चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ के अतिरिक्त किया जाएगा।

6. **विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ (ईएचबी) :**

किसी बीमित व्यक्ति द्वारा, दुर्घटनावश शारीरिक चोट या बीमारी पहली बार उस बीमित व्यक्ति के संबंध में बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि को या उसके बाद और बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान होने या प्रकट होने के कारण, 30 दिनों से अधिक की आंतरिक रोगी अस्पताल भर्ती की एकल लगातार अवधि से गुज़रने की स्थिति में, लागू दैनिक हितलाभ के 10 गुना की एकमुश्त राशि, वास्तविक खर्च की परवाह किए बिना, देय होगी।

विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ आंतरिक रोगी अस्पताल भर्ती की समान घटना के लिए देय किसी भी लागू अस्पताल नकद हितलाभ, प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ, अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ या डे केयर हितलाभ या चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ के अतिरिक्त देय होगा।

उपरोक्त हितलाभ अनुच्छेद 5 में उल्लिखित हितलाभ सीमा और शर्तों, अनुच्छेद 7 में प्रतीक्षा अवधि और अनुच्छेद 8 में उल्लिखित अपवर्जनों के अधीन हैं।

बी. **अन्य हितलाभ :**

1. **दावा–रहित हितलाभ :**

- दावा–रहित हितलाभ संबंधित बीमित व्यक्ति के प्रारंभिक दैनिक हितलाभ के 10% के बराबर होगा और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

- दावा–रहित हितलाभ को तीन लगातार दावा–रहित पॉलिसी वर्षों के अंत में लागू दैनिक हितलाभ में जोड़ा जाएगा, जो

- पॉलिसी के आरंभ की तिथि से, या
- जिस तिथि को पिछला दावा–रहित हितलाभ जोड़ा गया था,

इनमें से जो भी बाद में हो, से होगा.

- इस तरह की वृद्धि के बाद, लागू दैनिक हितलाभ तब तक अपरिवर्तित रहेगा, जब तक कि पॉलिसी तीन लगातार दावा–रहित पॉलिसी वर्षों का अगला ब्लॉक पूरा नहीं कर लेती।
- संपूर्ण पॉलिसी अवधि में संचित होने वाले कुल दावा–रहित हितलाभ पर कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।
- ''दावा–रहित पॉलिसी वर्ष'' की व्याख्या पॉलिसी के संपूर्ण संदर्भ में की जाएगी। किसी पॉलिसी वर्ष को दावा–रहित केवल तभी माना जाएगा, जब उस पॉलिसी वर्ष के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी बीमित व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 3.ए में निर्दिष्ट किसी भी हितलाभ (अर्थात अस्पताल नकद हितलाभ, प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ, अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ, डे केयर प्रक्रिया हितलाभ या चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ) के अंतर्गत कोई दावा नहीं किया गया हो।
- दावा–रहित हितलाभ लागू होगा, चाहे स्वतः स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा हितलाभ (जैसा कि अनुच्छेद 3.सी.ए में उल्लिखित है) सक्रिय हो या नहीं।
- यदि पॉलिसी के आरंभ की तिथि के बाद कोई अतिरिक्त बीमित शामिल किया जाता है, तो ऐसे बीमित के लिए दावा–रहित हितलाभ के संचय की तिथि मूल बीमित व्यक्ति (पीआई) की तिथि के साथ मेल खाएगी। अर्थात, एक अतिरिक्त बीमित के लिए दावा–रहित हितलाभ उस पॉलिसी वर्षगाँठ से जोड़ा जाएगा, जिस पर मूल बीमित के लिए दावा–रहित हितलाभ जोड़ा गया है।
- ऐसे किसी भी अतिरिक्त सदस्य के संबंध में दावा–रहित हितलाभ उसकी बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के बाद और उसके पॉलिसी में शामिल होने से तीन पॉलिसी वर्षों के पूर्ण होने से पहले भी संचित हो सकता है।
- इसके बाद, मुख्य बीमित व्यक्ति और सभी अतिरिक्त बीमित व्यक्तियों के लिए दावा–रहित हितलाभ एक साथ संचित होगा, चाहे उनकी पॉलिसी में शामिल होने की संबंधित तिथियाँ कुछ भी हों।

2. **स्वास्थ्य जाँच हितलाभ :**

एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत, बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि से प्रथम तीन पॉलिसी वर्षों की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में स्वास्थ्य जांच हितलाभ देय होगा। तत्पश्चात यह हितलाभ बीमा सुरक्षा अवधि की समाप्ति तक प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार देय होगा, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो एवं पॉलिसी के अंतर्गत की गई पूर्व स्वास्थ्य जाँच की तिथि से तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हों।

इस हितलाभ के अंतर्गत, स्वास्थ्य जाँच व्यय के लिए वास्तविक व्यय के बराबर राशि देय होगी, परंतु यह लागू दैनिक हितलाभ की आधी राशि से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि बीमित व्यक्ति स्वास्थ्य जाँच करवाता है। तथा चिकित्सा रिपोर्ट तथा चिकित्सा बिलों की प्रति साझा करता है।

सी. मृत्यु हितलाभ :

ए. मूल मुख्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर :

स्वतः स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा (एएचसी) हितलाभ :

मूल मुख्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, स्वतः स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा (एएचसी) हितलाभ उपलब्ध होगा, जिसमें मूल पॉलिसी के अंतर्गत सभी जीवित बीमित (बीमितों) के संबंध में सभी भावी प्रीमियमें, मुख्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु की तिथि को मेल खाने वाली या उसके बाद अगली पॉलिसी वर्षगाँठ से माफ कर दी जाएंगी। पॉलिसी नए उत्तराधिकारी मुख्य बीमित व्यक्ति (जैसा कि नीचे अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट है) के साथ पॉलिसी के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त अन्य जीवित बीमित (बीमितों) के साथ जारी रहेगी।

स्वतः स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा हितलाभ के लिए लागू शर्तें निम्नानुसार होंगी :

1. एएचसी हितलाभ केवल मूल मुख्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में उपलब्ध होगा।

2. पॉलिसी मूल मुख्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु की तिथि को चालू होनी चाहिए।

3. एएचसी हितलाभ मुख्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु की तिथि को मेल खाने वाली या उसके बाद अगली पॉलिसी वर्षगाँठ से उपलब्ध होगा। अर्ध–वार्षिक प्रीमियम भुगतान विधि होने के मामले में, ऐसी पॉलिसी वर्षगाँठ से पहले देय किसी भी प्रीमियम का भुगतान किया जाना आवश्यक है।

4. बीमित जीवनसाथी के जीवन पर किसी राइडर के संबंध में प्रीमियम, यदि इसे चुना गया है, को माफ नहीं किया जाएगा और संबंधित राइडर शर्तों के अनुसार उसका भुगतान जारी रहेगा। यदि अनुग्रह अवधि के भीतर राइडर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो राइडर हितलाभ समाप्त हो जाएंगे। एक बार राइडर समाप्त होने के बाद, इसे बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान दोबारा नहीं चुना जा सकता।

5. मूल पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ मूल मुख्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु की तिथि को प्रत्येक बीमित के संबंध में लागू लागू दैनिक हितलाभ के आधार पर होगा। इस लागू दैनिक हितलाभ बढ़ोतरी जारी रहेगी। दावा–रहित हितलाभ के माध्यम से बढ़ता रहेगा।

6. नए उत्तराधिकारी मुख्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर एएचसी हितलाभ उपलब्ध नहीं होगा।

7. एएचसी हितलाभ लागू नहीं होगा, यदि मूल बीमित व्यक्ति (चाहे वह स्वस्थ चित्त हो या विक्षिप्त) बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि से 12 महीनों के भीतर या पुनर्चलन की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है।

बी. मुख्य बीमित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर :

कोई मृत्यु हितलाभ देय नहीं है और पॉलिसी अन्य बीमित (बीमितों) के संबंध में जारी रहेगी और मृत बीमित व्यक्ति के संबंध में देय प्रीमियम बीमित व्यक्ति की मृत्यु की तिथि को मेल खाने वाली या उसके बाद अगली किस्त प्रीमियम देय तिथि से बंद हो जाएगी।

डी. परिपक्वता हितलाभ :

इस योजना के अंतर्गत कोई परिपक्वता हितलाभ देय नहीं होंगे।

इस दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन हितलाभों और उनकी सीमाओं का संक्षिप्त सारांश निम्नानुसार है :

क्र. सं.	हितलाभ	घटना	हितलाभ की राशि	वार्षिक हितलाभ सीमा	आजीवन अधिकतम हितलाभ सीमा	देय अतिरिक्त हितलाभ
1	अस्पताल नकद हितलाभ (एचसीबी)	अस्पताल भर्ती (गैर-आईसीयू वार्ड)	अस्पताल भर्ती के प्रत्येक दिन के लिए लागू दैनिक हितलाभ (एडीबी)	वर्ष 1 : 30 दिन वर्ष 2 से आगे : 90 दिन	900 दिन	1. यदि लागू हो, तो नीचे क्र.सं. 6 के अंतर्गत उल्लिखित विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ।
		अस्पताल भर्ती (आईसीयू वार्ड)	अस्पताल भर्ती के प्रत्येक दिन के लिए एडीबी का दो गुना			

2	मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ (एमएसबी)	अस्पताल में शल्य चिकित्सा प्रक्रिया (जैसा कि एमएसबी अनुलग्नक में उल्लिखित है) से गुजरना	की गई शल्य चिकित्सा के आधार पर एमएसबी बीमा राशि के प्रतिशत के बराबर एकमुश्त हितलाभ; जहां एमएसबी बीमा राशि एडीबी का 100 गुना है	एमएसबी बीमा राशि	एमएसबी बीमा राशि का 10 गुना	1. अस्पताल में रहने की अवधि के आधार पर एचसीबी। 2. एंबुलेंस हितलाभ : यदि एंबुलेंस सेवा का लाभ उठाया जाए तो रु.1,000 की एकमुश्त राशि देय। 3. प्रीमियम छूट हितलाभ : यदि श्रेणी 1 या श्रेणी 2 के अंतर्गत आने वाली एमएसबी की जाती है, तो मूल पॉलिसी के अंतर्गत एक वर्ष के लिए किस्त प्रीमियम को माफ किया जाएगा।
						4. एमएसबी बहाली : एमएसबी बीमा राशि की 100% वार्षिक सीमा समाप्त होने पर, उस पॉलिसी वर्ष में अगला एमएसबी दावा भी बीमा-रक्षित किया जाएगा (बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान अधिकतम 10 गुना के अधीन)। 5. यदि लागू हो, तो नीचे क्र.सं. 6 के अंतर्गत उल्लिखित अनुसार विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ।

3	डे केयर प्रक्रिया हितलाभ (डीसी–पीबी)	अस्पताल या डे केयर केंद्र में डे केयर प्रक्रिया (जैसा कि डीसीपीबी अनुलग्नक में उल्लिखित है) से गुजरना	एडीबी के 5 गुना के बराबर एकमुश्त हितलाभ	3 डे केयर प्रक्रियाएं	30 डे केयर प्रक्रियाएं	1. एचसीबी केवल तभी देय होगा जब डीसीपीबी हेमोडायलिसिस या रेडियोथेरेपी हो। 2. यदि लागू हो, तो नीचे क्र.सं. 6 के अंतर्गत उल्लिखित अनुसार विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ।
4	अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ (ओएसबी)	अस्पताल में एम एसबी और डीसीपीबी के अंतर्गत उल्लिखित प्रक्रियाओं के अलावा किसी अन्य शल्य चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरना	अस्पताल भर्ती के प्रत्येक दिन के लिए एडीबी का 2.5 गुना	वर्ष 1 : 15 दिन वर्ष 2 से आगे : 45 दिन	450 दिन	1. अस्पताल में रहने की अवधि के आधार पर एचसीबी। 2. यदि लागू हो, तो नीचे क्र.सं. 6 के अंतर्गत उल्लिखित अनुसार विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ।
5	चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ (एमएमबी)	डेंगू/ मलेरिया/ निमोनिया/ पल्मोनरी ट्यूबरक्यु–लोसिस/ वायरल हेपेटाइटिस ए के कारण आंतरिक रोगी अस्पताल भर्ती	एडीबी के 2.5 गुना के बराबर एकमुश्त हितलाभ	2 बार	20 बार	1. अस्पताल में रहने की अवधि के आधार पर एचसीबी। 2. यदि लागू हो, तो नीचे क्र.सं. 6 के अंतर्गत उल्लिखित अनुसार विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ।

6	विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ (ईएचबी)	30 दिनों से अधिक की एकल अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती (एचसीबी, एमएसबी, ओएसबी और डीसीपीबी के अतिरिक्त देय)	एडीबी के 10 गुना के बराबर एकमुश्त हितलाभ	1 बार	10 बार	-
7	स्वास्थ्य जाँच हितलाभ	प्रथम 3 पॉलिसी वर्षों के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक 3 वर्षों में एक बार एडीबी के आधे की अधिकतम सीमा के अधीन वास्तविक खर्च				

4. उपलब्ध विकल्प :

1) नए अतिरिक्त सदस्यों को बीमा सुरक्षा :

यदि मूल मुख्य बीमित व्यक्ति बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान विवाह/पुनर्विवाह करता है, तो जीवनसाथी को विवाह/पुनर्विवाह की तिथि से बारह महीनों के भीतर पॉलिसी में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते बीमा सुरक्षा के आरंभ की तिथि से पॉलिसी की बकाया अवधि कम से कम पांच वर्ष हो। ऐसे जीवनसाथी के संबंध में बीमा सुरक्षा अवधि शामिल होने की तिथि को मेल खाने वाली या उसके बाद अगली पॉलिसी वर्षगाँठ से शुरू होगी। ऐसी पॉलिसी वर्षगाँठ से बढ़ी हुई प्रीमियम देय होगी।

पॉलिसी लेने के बाद जन्मे/वैधानिक रूप से गोद लिए गए किसी भी बच्चे को जन्म/गोद लेने की तिथि से बारह महीनों के भीतर निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन पॉलिसी में शामिल किया जा सकता है :

- बीमा सुरक्षा के आरंभ की तिथि से पॉलिसी की बकाया अवधि कम से कम पांच वर्ष होगी।
- ऐसे बच्चे के संबंध में बीमा सुरक्षा अवधि शामिल होने की तिथि को मेल खाने वाली या उसके बाद अगली पॉलिसी वर्षगाँठ से शुरू होगी, बशर्ते बच्चा ऐसी पॉलिसी वर्षगाँठ को 90 दिन पूरे कर ले। यदि बच्चे ने ऐसी पॉलिसी वर्षगाँठ को 90 दिन पूरे नहीं किए हैं, तो बीमा सुरक्षा अवधि अगली क्रमागत पॉलिसी वर्षगाँठ से शुरू होगी।
- जब बीमा सुरक्षा शुरू हो, तब ऐसी पॉलिसी वर्षगाँठ से बढ़ी हुई प्रीमियमें देय होंगी।
- सभी पात्र जीवित बच्चों को पहले ही पॉलिसी के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है।

प्रत्येक अतिरिक्त बीमित व्यक्ति को शामिल करना निगम द्वारा घटना के प्रमाण की प्राप्ति के अधीन होगा और निगम की जोखिमांकन नीति के अधीन भी

होगा। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत उल्लिखित पात्रता शर्तें, अनुच्छेद 7 के अंतर्गत उल्लिखित प्रतीक्षा अवधि और अनुच्छेद 8 के अंतर्गत उल्लिखित अपवर्जन नए बीमित व्यक्ति पर भी लागू होंगे।

किसी अन्य मामले में नए सदस्य को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

किसी भी नए सदस्य को जोड़ने की अनुमति केवल मूल मुख्य बीमित व्यक्ति द्वारा दी जाएगी। मूल मुख्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद, किसी को भी जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2) मौजूदा सदस्यों को हटाना :

मृत्यु या तलाक की घटना में, मुख्य बीमित व्यक्ति के लिखित अनुरोध पर एक बीमित व्यक्ति को बीमा सुरक्षा से हटाया जा सकता है। यह ऐसे अनुरोध की तिथि को मेल खाने वाली या उसके बाद अगली किस्त प्रीमियम नियत तिथि से प्रभावी होगा। ऐसी किस्त प्रीमियम नियत तिथि से उस बीमित व्यक्ति के संबंध में कोई और प्रीमियम देय नहीं होगी।

किसी अन्य परिस्थिति में, मौजूदा बीमित व्यक्ति को हटाने की अनुमति केवल निगम के विवेकाधिकार पर दी जाएगी।

3) क्विक कैश सुविधा :

यदि बीमित व्यक्तियों में से कोई भी किसी सूचीबद्ध नेटवर्क अस्पतालों में मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ की श्रेणी 1 या श्रेणी 2 (जैसा कि मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ अनुलग्नक में उल्लिखित है) के अंतर्गत आने वाली किसी पात्र शल्य चिकित्सा से गुजरता है, तो पीआई के पास क्विक कैश सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प होगा। इस सुविधा के अंतर्गत, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद हितलाभ के लिए दावा करने के लिए प्रतीक्षा करने के बजाय, पात्र मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ राशि का 50% बीमित व्यक्तियों (शल्य चिकित्सा नियोजित या दुर्घटना के कारण आपातकालीन हो सकती है) में से किसी के भी अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह श्रेणी 1 या 2 (जैसा कि मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ अनुलग्नक में उल्लिखित है) के अंतर्गत सूचीबद्ध शल्य चिकित्साओं में परिभाषित किसी मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ के लिए अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में मुख्य बीमित व्यक्ति को केवल एक अग्रिम भुगतान होगा और योजना की पॉलिसी शर्तों के अंतर्गत अनुमत होगा। तथापि, यह निगम से अनुमोदन के अधीन होगा, और अग्रिम राशि मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ दावा राशि के अंतिम निपटान से समायोजित की जाएगी।

5. हितलाभ सीमाएं और शर्तें :

1. अस्पताल नकद हितलाभ सीमाएं और शर्तें :

1. प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में किसी पॉलिसी वर्ष में अस्पताल नकद हितलाभ जितने कुल दिनों के लिए देय होगा, वह इस प्रकार सीमित होगा –

ए. **उस बीमित के संबंध में बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि से प्रथम पॉलिसी वर्ष में अस्पताल में भर्ती (आईसीयू में रहने सहित) के अधिकतम 30 दिन**

बी. **उस बीमित के संबंध में बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि के बाद दूसरे और बाद के पॉलिसी वर्षों में अस्पताल में भर्ती (आईसीयू में रहने सहित) के अधिकतम 90 दिन**

हेमोडायलिसिस और रेडियोथेरेपी के लिए प्रदत्त अस्पताल नकद हितलाभ भी इस अधिकतम सीमा के अंतर्गत शामिल होगा।

2. पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्येक और हर बीमित व्यक्ति के संबंध में बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान अस्पताल में भर्ती के कुल दिनों की संख्या, जिसके लिए अस्पताल नकद हितलाभ देय है, अधिकतम 900 दिनों (आईसीयू में रहने सहित) तक सीमित होगी। बीमित व्यक्ति द्वारा इस सीमा की प्राप्ति पर, उस बीमित व्यक्ति के संबंध में अस्पताल नकद हितलाभ तुरंत बंद हो जाएगा।

3. किसी बीमित व्यक्ति द्वारा किसी निर्दिष्ट डे केयर प्रक्रिया (जैसा कि डे केयर प्रक्रिया हितलाभ अनुलग्नक में उल्लिखित है) से गुजरने की स्थिति में अस्पताल नकद हितलाभ देय नहीं होगा, सिवाय मेन्टेनेन्स हेमोडायलिसिस और रेडियोथेरेपी के।

4. यद्यपि हेमोडायलिसिस और रेडियोथेरेपी डे केयर प्रक्रिया हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए भी अस्पताल नकद हितलाभ देय होगा, भले ही अस्पताल/डे केयर सेंटर में रहने की अवधि की अवधि 24 घंटे से कम हो।

5. पॉलिसी के अंतर्गत किसी बीमित व्यक्ति के संबंध में उपरोक्त खंडों में निर्दिष्ट हितलाभ सीमाएं विशेष रूप से और केवल उस बीमित व्यक्ति पर लागू होंगी। किसी एक बीमित व्यक्ति का कोई भी अदावाकृत अस्पताल नकद हितलाभ किसी अन्य बीमित व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं है।

6. अस्पताल नकद हितलाभ केवल तभी देय होगा, जब अस्पताल में भर्ती भारत में हुई हो।

2. **मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ सीमाएं और शर्तें :**

1. बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान किसी पॉलिसी वर्ष में प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ के अंतर्गत देय कुल राशि उस पॉलिसी वर्ष में मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ बीमा राशि से अधिक नहीं होगी। यदि किसी पॉलिसी वर्ष में मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ बीमा राशि समाप्त हो जाती है, तो अगला मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ दावा मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ बहाली के अधीन होगा।

2. प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ के अंतर्गत देय कुल राशि मुख्य शल्य चिकित्सा **हितलाभ बीमा राशि के 10 गुना की अधिकतम** सीमा से अधिक नहीं होगी। यदि किसी बीमित व्यक्ति के संबंध में भुगतान की गई कुल राशि

इस आजीवन अधिकतम सीमा के बराबर हो जाती है, तो उस बीमित व्यक्ति के संबंध में मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ तुरंत बंद हो जाएगा। अतः किसी पॉलिसी वर्ष के दौरान दावे की प्राप्ति पर, देय राशि तय करने के लिए उस पॉलिसी वर्ष के लिए लागू एडीबी के आधार पर अधिकतम आजीवन सीमा और वार्षिक सीमा की गणना की जाएगी।

3. किसी भी शल्य चिकित्सा के लिए मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ का दावा नहीं किया जा सकता है और बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान समान शल्य चिकित्सा के लिए एक से अधिक बार देय नहीं होगा। साथ ही, एकाधिक सिटिंग्स के अंतर्गत की गई पीटीसीए (पर्क्यूटेनियस ट्रांसलूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी) का दावा नहीं किया जा सकता है और एक से अधिक बार देय नहीं होगी।

4. यदि समान शल्य चिकित्सा सत्र के दौरान बीमित व्यक्ति पर एक से अधिक शल्य चिकित्सा की जाती है, तो निगम सबसे गंभीर शल्य चिकित्सा के संबंध में श्रेणी के अनुसार पात्र राशि का 100% भुगतान करेगा और अन्य शल्य चिकित्साओं के लिए पात्र राशि का 25% भुगतान किया जाएगा। यह हितलाभ एकल सत्र में की गई प्रत्येक अतिरिक्त शल्य चिकित्सा के लिए भुगतान किया जाएगा और समग्र वार्षिक और आजीवन सीमाओं के अधीन है।

5. यदि मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ देय है, तो अस्पताल में भर्ती की उसी घटना के लिए चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ देय नहीं होगा।

6. पॉलिसी के अंतर्गत किसी बीमित व्यक्ति के संबंध में उपरोक्त खंडों में निर्दिष्ट हितलाभ सीमाएं विशेष रूप से और केवल उस बीमित व्यक्ति पर लागू होंगी। किसी एक बीमित व्यक्ति का कोई भी अदावाकृत मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ किसी अन्य बीमित व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं है।

7. मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ संबंधित हितलाभ के लिए निर्दिष्ट एकमुश्त के रूप में भुगतान किया जाएगा और निगम की संतुष्टि के लिए शल्य चिकित्सा का प्रमाण प्रदान करने के अधीन है।

8. दावा की गई सभी शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं की निगम की संतुष्टि के लिए एक योग्यता-प्राप्त चिकित्सक या शल्य चिकित्सक द्वारा आवश्यक और अपेक्षित के रूप में पुष्टि की जानी चाहिए।

9. मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ केवल तभी देय होगा जब निगम चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट हो कि योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त निर्दिष्ट शल्य चिकित्सा की गई है।

10. मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ केवल तभी देय होगा जब शल्य चिकित्सा भारत में भीतर की गई हो।

इसके अलावा, निम्नलिखित हितलाभ और सीमाएं लागू हैं :

ए) एंबुलेंस हितलाभ सीमाएं और शर्तें :

एंबुलेंस परिवहन खर्चों के मामले में देय एकमुश्त राशि प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में बीमा सुरक्षा प्राप्त मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ के लिए देय होगी, बशर्ते एंबुलेंस परिवहन चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो और निगम को संतोषजनक साक्ष्य प्रदान करने के अधीन हो।

बी) मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ बहाली हितलाभ की सीमाएं और शर्तें :

1. मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ बहाली दावा प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में किसी भी पॉलिसी वर्ष में केवल एक बार देय होगा, अर्थात बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान किसी पॉलिसी वर्ष में ऐसे मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ बहाली दावे के अंतर्गत प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में देय कुल राशि उस पॉलिसी वर्ष में निश्चित मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ बीमा राशि से अधिक नहीं होगी।

2. मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ बहाली दावा प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान केवल अधिकतम 10 बार तक देय होगा।

3. किसी बीमित व्यक्ति के संबंध में उपरोक्त खंडों में निर्दिष्ट हितलाभ सीमाएं विशेष रूप से और केवल उस बीमित व्यक्ति पर लागू होंगी। किसी एक बीमित व्यक्ति का अदावाकृत मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ बहाली दावा किसी अन्य बीमित व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं है।

4. मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ बहाली दावा संबंधित हितलाभ के लिए निर्दिष्ट एकमुश्त के रूप में भुगतान किया जाएगा और निगम की संतुष्टि के लिए शल्य चिकित्सा का प्रमाण प्रदान करने के अधीन है।

5. दावा की गई सभी शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को निगम की संतुष्टि के लिए एक योग्यता–प्राप्त चिकित्सक या शल्य चिकित्सक द्वारा आवश्यक और अपेक्षित के रूप में पुष्टि की जानी चाहिए।

6. मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ बहाली दावा केवल तभी देय होगा जब निगम चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट हो कि योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त निर्दिष्ट शल्य चिकित्सा की गई है।

7. मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ बहाली दावा केवल तभी देय होगा जब शल्य चिकित्सा भारत में की गई हो।

3. डे केयर प्रक्रिया हितलाभ सीमाएं और शर्तें :

1. प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में, बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान किसी भी **पॉलिसी वर्ष में** डे केयर प्रक्रिया हितलाभ अधिकतम **3 डे केयर प्रक्रियाओं तक ही देय होगा।**

2. बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में, डे केयर प्रक्रिया हितलाभ केवल **आजीवन अधिकतम 30 डे केयर प्रक्रियाओं की सीमा तक देय होगा।** यदि किसी बीमित व्यक्ति के संबंध में डे केयर प्रक्रिया हितलाभ के लिए पात्र डे केयर प्रक्रियाओं की संख्या इस आजीवन अधिकतम सीमा के बराबर हो जाती है, तो उस बीमित व्यक्ति के संबंध में डे केयर प्रक्रिया हितलाभ तुरंत बंद हो जाएगा।

3. यदि बीमित व्यक्ति पर एक ही शल्य चिकित्सा सत्र के दौरान, समान चीरे के माध्यम से या अलग-अलग चीरे लगाकर एक से अधिक डे केयर प्रक्रिया की जाती है, तो निगम केवल एक ही डे केयर प्रक्रिया के लिए भुगतान करेगा।

4. यदि डे केयर प्रक्रिया की जाती है, तो कोई अस्पताल नकद हितलाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा (मेंटेनेन्स **हेमोडायलिसिस** और **रेडियोथेरेपी** को छोड़कर) भले ही डे केयर प्रक्रिया के लिए अस्पताल में भर्ती 24 घंटे से अधिक हो।

5. यदि डे केयर हितलाभ देय है, तो अस्पताल में भर्ती की उसी घटना के लिए चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ देय नहीं होगा।

6. पॉलिसी के अंतर्गत किसी बीमित व्यक्ति के संबंध में उपरोक्त खंडों में निर्दिष्ट हितलाभ सीमाएं विशेष रूप से और केवल उस बीमित व्यक्ति पर लागू होंगी। किसी एक बीमित व्यक्ति का अदावाकृत डे केयर प्रक्रिया हितलाभ किसी अन्य बीमित व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं है।

7. डे केयर प्रक्रिया हितलाभ एकमुश्त के रूप में भुगतान किया जाएगा और निगम की संतुष्टि के लिए शल्य चिकित्सा/प्रक्रिया का प्रमाण प्रदान करने के अधीन है।

8. दावा की गई सभी डे केयर प्रक्रियाओं को निगम की संतुष्टि के लिए एक योग्य चिकित्सक या शल्य चिकित्सक द्वारा आवश्यक और अपेक्षित के रूप में पुष्टि की जानी चाहिए।

9. डे केयर प्रक्रिया हितलाभ केवल तभी देय होगा जब निगम चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट हो कि योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त निर्दिष्ट डे केयर प्रक्रिया की गई है।

10. डे केयर प्रक्रिया हितलाभ केवल तभी देय होगा जब डे केयर प्रक्रिया भारत में की गई हो।

4. अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ सीमाएं और शर्तें :

1. पॉलिसी के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त प्रत्येक और हर बीमित व्यक्ति के संबंध में किसी पॉलिसी वर्ष के दौरान अस्पताल में भर्ती के कुल दिनों की संख्या, जिसके लिए अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ देय है, उस बीमित के संबंध में बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि से प्रथम **पॉलिसी वर्ष में 15 दिनों से और** उस बीमित के संबंध में बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि के बाद **दूसरे और बाद के पॉलिसी वर्षों के लिए 45 दिनों से अधिक नहीं होगी।**

2. पॉलिसी के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त प्रत्येक और हर बीमित व्यक्ति के संबंध में बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान अस्पताल में भर्ती के कुल दिनों की संख्या, जिसके लिए अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ देय है, आजीवन अधिकतम 450 दिनों की सीमा से अधिक नहीं होगी। इस आजीवन अधिकतम सीमा की प्राप्ति पर, उस बीमित व्यक्ति के संबंध में अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ तुरंत बंद हो जाएगा।

3. यदि बीमित व्यक्ति पर एक ही शल्य चिकित्सा सत्र के दौरान, समान चीरे के माध्यम से या अलग-अलग चीरे लगाकर एक से अधिक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया की जाती है, तो निगम केवल एक ही शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के लिए भुगतान करेगा।

4. यदि अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ देय है, तो अस्पताल में भर्ती की उसी घटना के लिए चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ देय नहीं होगा।

5. पॉलिसी के अंतर्गत किसी बीमित व्यक्ति के संबंध में उपरोक्त खंडों में निर्दिष्ट हितलाभ सीमाएं विशेष रूप से और केवल उस बीमित व्यक्ति पर लागू होंगी। किसी एक बीमित व्यक्ति पर अदावाकृत अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ किसी अन्य बीमित व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं है।

6. अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ दैनिक हितलाभ के रूप में भुगतान किया जाएगा और निगम की संतुष्टि के लिए शल्य चिकित्सा का प्रमाण प्रदान करने के अधीन है।

7. दावा की गई सभी शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को निगम की संतुष्टि के लिए एक योग्यता-प्राप्त चिकित्सक या शल्य चिकित्सक द्वारा आवश्यक और अपेक्षित के रूप में पुष्टि की जानी चाहिए।

8. अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ केवल तभी देय होगा जब निगम चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट हो कि योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त निर्दिष्ट शल्य चिकित्सा प्रक्रिया की गई है।

9. अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ केवल तभी देय होगा, जब शल्य चिकित्सा प्रक्रिया भारत में की गई हो।

5. **चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ सीमाएं और शर्तें :**

1. प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में, बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक **पॉलिसी वर्ष में चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ अधिकतम 2 बार देय होगा।**

2. बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में, चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ केवल **आजीवन अधिकतम 20 बार की सीमा** तक देय होगा। यदि किसी बीमित व्यक्ति के संबंध में चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ इस आजीवन अधिकतम सीमा के बराबर हो जाता है, तो उस बीमित व्यक्ति के संबंध में चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ तुरंत बंद हो जाएगा।

3. यदि आंतरिक रोगी अस्पताल भर्ती की उसी घटना के लिए मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ, अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ या डे केयर हितलाभ देय हैं, तो चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ देय नहीं होगा।

4. किसी बीमित व्यक्ति के संबंध में उपरोक्त खंडों में निर्दिष्ट हितलाभ सीमाएं विशेष रूप से और केवल उस बीमित व्यक्ति पर लागू होंगी। किसी एक बीमित व्यक्ति पर कोई भी अदावाकृत चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ किसी अन्य बीमित व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं है।

5. चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ एकमुश्त के रूप में भुगतान किया जाएगा, जो निगम की संतुष्टि के लिए निर्दिष्ट चिकित्सा स्थिति के लिए अस्पताल में भर्ती का प्रमाण प्रदान करने के अधीन है।

6. चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ केवल तभी देय होगा जब अस्पताल में भर्ती और उपचार भारत में हुआ हो।

6. विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ सीमाएं और शर्तें :

1. प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में, बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक **पॉलिसी वर्ष में** विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ **केवल एक बार देय होगा।**

2. बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में, विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ केवल **आजीवन अधिकतम 10 बार की सीमा तक देय होगा।** यदि किसी बीमित व्यक्ति के संबंध में विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ इस आजीवन अधिकतम सीमा के बराबर हो जाता है, तो उस बीमित व्यक्ति के संबंध में विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ तुरंत बंद हो जाएगा।

3. पॉलिसी के अंतर्गत किसी बीमित व्यक्ति के संबंध में उपरोक्त खंडों में निर्दिष्ट हितलाभ सीमाएं विशेष रूप से और केवल उस बीमित व्यक्ति पर लागू होंगी। किसी एक बीमित व्यक्ति का कोई भी अदावाकृत विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ किसी अन्य बीमित व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं है।

4. विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ एकमुश्त के रूप में भुगतान किया जाएगा, निगम की संतुष्टि के लिए आंतरिक रोगी अस्पताल में भर्ती का प्रमाण प्रदान करने के अधीन।

5. विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ केवल तभी देय होगा जब अस्पताल में भर्ती भारत में हुई हो।

7. स्वास्थ्य जाँच हितलाभ सीमाएं और शर्तें :

1. प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में, बीमा सुरक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक 3 पॉलिसी वर्षों में स्वास्थ्य जाँच हितलाभ केवल एक बार देय होगा, और तदुपरांत पूर्व स्वास्थ्य जाँच की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर देय होगा।

2. किसी बीमित व्यक्ति के संबंध में उपरोक्त खंड में निर्दिष्ट हितलाभ सीमाएं विशेष रूप से और केवल उस बीमित व्यक्ति पर लागू होंगी। किसी एक बीमित व्यक्ति पर कोई भी अदावाकृत स्वास्थ्य जाँच हितलाभ किसी अन्य बीमित व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं है।

3. स्वास्थ्य जाँच हितलाभ केवल तभी देय होगा जब स्वास्थ्य जाँच भारत के भीतर की गई हो।

6. पॉलिसी से मूल पीआई के बाहर निकलने पर बीमित जीवनसाथी/जीवित मुख्य बीमितों में से सबसे ज्येष्ठ के मुख्य बीमित व्यक्ति बनने के लिए पूर्व-निर्धारित प्रावधान :

मूल मुख्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर पॉलिसी से उसकी निकासी या मूल पीआई द्वारा सभी आजीवन अधिकतम हितलाभ सीमाओं को नि:शेष करने की स्थिति में पॉलिसी अन्य पात्र जीवित बीमित व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ नए उत्तराधिकारी पीआई के रूप में जीवित बीमित जीवनसाथी के साथ जारी रहेगी। यदि पॉलिसी के अंतर्गत कोई बीमित जीवनसाथी नहीं है; या यदि बीमित जीवनसाथी की मृत्यु मूल पीआई से पहले हो गई है; या यदि बीमित जीवनसाथी पॉलिसी से बाहर निकल गया है, तो पॉलिसी अन्य पात्र जीवित बीमित व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ नए उत्तराधिकारी पीआई के रूप में जीवित मुख्य बीमितों में से सबसे ज्येष्ठ के साथ जारी रहेगी। अवयस्क जीवन के मामले में, अंतिम उत्तराधिकारी पीआई के बाहर निकलने पर, अवयस्क जीवन का विधिक अभिभावक लाभार्थी होगा।

ऐसे नए उत्तराधिकारी पीआई (यदि एएचसी हितलाभ लागू नहीं है) के लिए प्रीमियम, मुख्य बीमित व्यक्ति की सारणीबद्ध प्रीमियम दरों के आधार पर होगा और संशोधित प्रीमियम दर की गणना के लिए आयु उसकी/उसके प्रवेश पर आयु होगी। नए उत्तराधिकारी पीआई के प्रीमियम में ऐसा परिवर्तन मेल खाने वाली या अगली किस्त प्रीमियम देय तिथि से प्रभावी होगा। हालांकि, नए उत्तराधिकारी पीआई के लिए प्रयोज्य मौजूदा बीमा सुरक्षा का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। अन्य बीमितों के लिए प्रीमियम दरें वही रहेंगी।

7. प्रतीक्षा अवधि :

सामान्य प्रतीक्षा अवधि :

यदि अस्पताल में भर्ती या शल्य चिकित्सा पॉलिसी के बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि को या उसके बाद होने वाली दुर्घटनावश शारीरिक चोट के कारण है, तो कोई सामान्य प्रतीक्षा अवधि नहीं होगी। यदि उक्त अस्पताल में भर्ती या शल्य चिकित्सा बीमारी के कारण हुई हो, तो एक सामान्य प्रतीक्षा अवधि होगी, जिसके दौरान अस्पताल में भर्ती या शल्य चिकित्सा की स्थिति में कोई हितलाभ देय नहीं होगा।

1. सामान्य प्रतीक्षा अवधि प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि से 90 दिन होगी।

2. यदि बीमा सुरक्षा की अनिरंतरता के बाद बीमित व्यक्ति (व्यक्तियों) के संबंध में पॉलिसी/बीमा सुरक्षा को पुनर्चलित किया जाता है, तो प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित लागू होगा :

   ए. यदि निगम को पुनर्चलन के लिए अनुरोध प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम की देय तिथि से 90 दिनों के भीतर प्राप्त होता है, तो प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में पुनर्चलन की तिथि से 45 दिनों की सामान्य प्रतीक्षा अवधि होगी।

बी. यदि निगम को पुनर्चलन के लिए अनुरोध प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम की देय तिथि से 90 दिनों के बाद प्राप्त होता है, तो प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में पुनर्चलन की तिथि से 90 दिनों की सामान्य प्रतीक्षा अवधि होगी।

विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि :

उपरोक्त के अलावा, प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि के दौरान इस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसी किसी अस्पताल भर्ती या शल्यक्रिया के लिए कोई हितलाभ उपलब्ध नहीं हैं इनके लिए किए गए किसी दावे हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नांकित के कारण हों, इनके आधार पर हों, इनसे उत्पन्न हों या किसी प्रकार से इनके द्वारा आरोपित हों :

1. एडेनॉइड या टॉन्सिल संबंधी विकारों के लिए उपचार
2. एनल फिस्टुला या एनल फिशर के लिए उपचार
3. प्रोस्टेट ग्रंथि के सौम्य बढ़ाव के लिए उपचार
4. गर्भाशय फाइब्रॉइड, गर्भाशय प्रोलैप्स, डिसफंक्शनल गर्भाशय रक्तस्राव आदि जैसे सौम्य गर्भाशय विकारों के लिए उपचार
5. मोतियाबिंद के लिए उपचार
6. पित्त पथरी के लिए उपचार
7. स्लिप डिस्क के लिए उपचार
8. बवासीर के लिए उपचार
9. सौम्य थायरॉइड विकारों के लिए उपचार
10. हर्निया के लिए उपचार
11. हाइड्रोसील के लिए उपचार
12. जोड़ों की डिजनरेटिव स्थितियों के लिए उपचार
13. साइनस विकारों के लिए उपचार
14. गुर्दे या मूत्र पथ की पथरी के लिए उपचार
15. वैरिकोज वेन्स के लिए उपचार
16. कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए उपचार
17. सौम्य स्तन विकारों जैसे फाइब्रोएडेनोमा, फाइब्रोसिस्टिक रोग आदि के लिए उपचार
18. सौम्य अंडाशय विकारों के लिए उपचार
19. गैस्ट्रिक/ड्यूओडेनल अल्सर के लिए उपचार
20. रेटिनल विकारों के लिए उपचार

21. घुटने/जॉइंट रिप्लेसमेंट शल्य चिकित्सा (दुर्घटनावश होने के अलावा) के लिए उपचार

22. ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए उपचार

23. क्रोनिक रीनल फेलियर या एंड स्टेज रीनल फेलियर के लिए उपचार

उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट उपचारों के संबंध में विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि निम्नानुसार होगी :

1. विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि से 2 वर्ष होगी।

2. यदि बीमा सुरक्षा की अनिरंतरता के बाद पॉलिसी को पुनर्चलित किया जाता है, तो प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित लागू होगा :

   ए. यदि निगम को पुनर्चलन के लिए अनुरोध प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम की देय तिथि से 90 दिनों के भीतर प्राप्त होता है, तो विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि से 2 वर्ष तक जारी रहेगी।

   बी. यदि निगम को पुनर्चलन के लिए अनुरोध प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम की देय तिथि से 90 दिनों के बाद प्राप्त होता है, तो प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में पुनर्चलन की तिथि से 2 वर्ष की विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि होगी।

8. अपवर्जन :

इस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसी किसी अस्पताल भर्ती या शल्यक्रिया के लिए कोई हितलाभ उपलब्ध नहीं हैं इनके लिए किए गए किसी दावे हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नांकित के कारण हों, इनके आधार पर हों, इनसे उत्पन्न हों या किसी प्रकार से इनके द्वारा आरोपित हों :

1. कोई भी पूर्व–विद्यमान स्थिति* जब तक कि बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि या पुनर्चलन की तिथि (यदि बीमा सुरक्षा की अनिरंतरता के बाद पॉलिसी/बीमा सुरक्षा को पुनर्चलित किया जाता है) से पहले निगम को इसकी घोषणा न की गई हो और निगम द्वारा इसे स्वीकार न किया गया हो।

   *पूर्व–विद्यमान रोग/स्थिति का अर्थ है कोई स्थिति, बीमारी, चोट या रोग :

   ए. जिसका/जिनका बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से 36 महीने पहले किसी चिकित्सक द्वारा निदान किया गया है; या

   बी. जिसके लिए बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से 36 महीने पहले किसी चिकित्सक द्वारा चिकित्सा सलाह या उपचार की सिफारिश की गई थी, या प्राप्त की गई थी।

2. कोई भी उपचार या शल्य चिकित्सा जो किसी चिकित्सक/शल्य चिकित्सक द्वारा नहीं की गई है या विशुद्ध रूप से प्रायोगिक प्रकृति का कोई उपचार या शल्य चिकित्सा।

3. कोई भी प्रायोगिक या अप्रमाणित औषध संबंधी व्यवस्था या किसी अप्रमाणित उपचार उपकरणों का उपयोग; किसी भी प्रायोगिक या अप्रमाणित औषध संबंधी

व्यवस्था या उपचार उपकरणों या निदान परीक्षणों की सलाह के कारण उत्पन्न होने वाली कोई भी स्थितियां (चोटें या बीमारियां)।

4. भारत के बाहर किसी अस्पताल में भर्ती, निदान या उपचार। नियमित जाँच, निवारक चिकित्सा जाँच, टीकाकरण या कोई भी चिकित्सा जाँच जो आमतौर पर बाह्य रोगी आधार पर की जाती है, के लिए अस्पताल में भर्ती।

5. विशुद्ध रूप से निदान, स्क्रीनिंग और जाँच के उद्देश्यों के लिए की गई कोई भी शल्य चिकित्सा/शल्य चिकित्सा प्रक्रिया, उदाहरण के लिए लोअर/अपर जीआई एंडोस्कोपी या ट्रू–कट नीडल बायोप्सी, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

6. किसी भी प्रकार की कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, सौंदर्य या संबंधित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती, ऐसे उपचारों के कारण होने वाली किसी भी जटिलता सहित, ऐसे उपचार के पीछे के कारण की परवाह किए बिना, जब तक कि चिकित्सकीय रूप से बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक न हो या चोट या दुर्घटना के परिणामस्वरूप और उसी के 6 महीनों के भीतर न की गई हो।

7. दाता द्वारा अंग दान के लिए अस्पताल में भर्ती शल्य चिकित्सा।

8. किसी भी दंत जाँच, शल्य चिकित्सा या उपचार सिवाय किसी दुर्घटना के कारण आवश्यक होने के।

9. आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) के अंतर्गत उपचार के लिए कोई भी अस्पताल में भर्ती अपवर्जित है जब तक कि ऐसा उपचार किसी भारतीय राज्य/केंद्र सरकार के अस्पताल में या भारत सरकार या किसी भारतीय राज्य की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में न किया गया हो और न्यूनतम 24 घंटे के लिए आंतरिक रोगी देखभाल संबद्ध हो।

   ए. निवारक, कायाकल्प या सौंदर्यीकरण उद्देश्यों के लिए आयुष उपचार के लिए कोई भी अस्पताल भर्ती, मालिश, भाप स्नान, विषहरण कार्यक्रम और सदृश प्रक्रियाओं सहित, बीमा सुरक्षा से वर्जित हैं।

   बी. प्रकृति उपचार क्लीनिक, हेल्थ हाइड्रो, स्पा या सदृश प्रतिष्ठानों में उपचार के लिए कोई भी अस्पताल में भर्ती बीमा सुरक्षा से वर्जित है।

10. एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, चुंबकीय और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के लिए कोई भी अस्पताल में भर्ती।

11. स्वास्थ्य लाभ, सामान्य कमजोरी, आराम उपचार, बाहरी जन्मजात रोग या दोष या विसंगति, नसबंदी या बांझपन (निदान और उपचार), कोई भी सैनेटोरियम, स्पा या आराम उपचार या दीर्घकालीन देखभाल या निवारक या स्वास्थ्यलाभ उपाय के रूप में या केवल फिजियोथेरेपी के उद्देश्य से की गई अस्पताल भर्ती।

12. किसी भी अस्पताल भर्ती, जो मुख्य रूप से बाध्यकारी बेड–रेस्ट के लिए है, न कि उपचार प्राप्त करने के लिए। इसमें यह भी शामिल है :

   ए. दैनिक जीवन की गतिविधियों जैसे स्नान, कपड़े पहनना, इधर–उधर जाना आदि में मदद के लिए व्यक्तिगत देखभाल के लिए घर पर या नर्सिंग

सुविधा में कस्टोडियल देखभाल, चाहे कुशल नर्सों या सहायकों या गैर–कुशल व्यक्तियों द्वारा।

बी. शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए असाध्य रूप से बीमार लोगों के लिए कोई भी सेवाएं।

13. बीमित जीवन द्वारा आत्महत्या के प्रयास या जानबूझकर स्वयं को पहुंचाई गई चोट के कारण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई भी स्थिति से उत्पन्न कोई भी दावा, चाहे उस समय बीमित जीवन स्वस्थ चित्त हो या नहीं हो।

14. बीमित जीवन द्वारा ड्रग्स, शराब, मादक पदार्थों या मनोदैहिक पदार्थों के प्रभाव में होना, जो किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा निर्धारित नहीं है।

15. बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि या पुनर्चलन की तिथि (यदि बीमा सुरक्षा के विराम होने के बाद बीमा सुरक्षा को पुनर्चलित किया जाता है) से पहले पूर्व शल्य चिकित्सा में प्रत्यारोपित की गई किसी भी सामग्री/कृत्रिम अंग/चिकित्सा उपकरणों को हटाना या सुधारना या प्रतिस्थापित करना।

16. गर्भावस्था से उत्पन्न या खोजे जाने योग्य कोई भी निदान या उपचार (यह अपवर्जन एक्टोपिक गर्भावस्था के मामले में लागू नहीं होता), प्रसव जिसमें सीजेरियन सेक्शन शामिल है, गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति और/या माता या नवजात की प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल से संबंधित कोई भी उपचार।

17. युद्ध (घोषित या अघोषित), आक्रमण, विदेशी दुश्मन का कार्य, शत्रुता (घोषित या अघोषित), गृहयुद्ध, दंगे, नागरिक हंगामा, विद्रोह, क्रांति या किसी भी युद्ध स्वरूप संचालन/आतंकवाद/आतंकवाद के कृत्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न या परिणामस्वरूप कोई भी उपचार।

18. सैन्य/अर्धसैनिक, नौसेना, वायु सेना या पुलिस संगठनों में सेवा के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में और आतंकवादियों, विद्रोहियों और इसी तरह के लोगों का मुकाबला करने के लिए ऐसे अधिकारियों द्वारा आदेशित हथियारों के उपयोग की आवश्यकता वाले संचालन में भागीदारी के रूप में होने वाला कोई भी दावा।

19. बीमित जीवन के पेशेवर खेल (खेलों) या प्रतिस्पर्धी खेलों या किसी खतरनाक गतिविधियों में लगे होने या भाग लेने के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों के कारण उपचार के संबंध में कोई भी दावा, जिसमें अग्रांकित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं – गोताखोरी या सवारी या किसी भी प्रकार की दौड़; श्वास उपकरण के उपयोग या बिना पानी के नीचे की गतिविधियां; मार्शल आर्ट; शिकार; पर्वतारोहण; पैराशूटिंग; बंजी–जंपिंग, रेसिंग, स्कूबा डाइविंग, हवाई खेल।

20. परमाणु ईंधन सामग्री या परमाणु ईंधन सामग्री द्वारा दूषित संपत्ति के रेडियोधर्मी, विस्फोटक या खतरनाक प्रकृति से बीमित जीवन के संपर्क या ऐसी प्रकृति से होने वाली दुर्घटना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न कोई भी उपचार।

21. बीमित जीवन द्वारा किसी आपराधिक या अवैधानिक कार्य में भागीदारी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न या परिणामस्वरूप कोई भी उपचार।

22. बीमित जीवन द्वारा किसी भी उड़ान गतिविधि में भागीदारी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उत्पन्न होने वाला कोई भी दावा, सिवाय एक वास्तविक यात्री (भुगतान करने वाले या नहीं) के रूप में, एक लाइसेंस प्राप्त विमान में, बशर्ते कि उस समय बीमित जीवन का ऐसे विमान पर कोई कर्तव्य न हो।

23. चश्मे या श्रवण यंत्रों की आपूर्ति या फिटिंग के लिए अस्पताल में भर्ती। लेसिक/पीआरके/फेकिक आईओएल इम्प्लांट या मायोपिया जैसी अपवर्तक त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से की गई कोई अन्य प्रक्रियाएं।

24. बांझपन, किसी भी प्रजनन क्षमता, उप–प्रजनन क्षमता या सहायता प्राप्त गर्भधारण प्रक्रिया या जन्म नियंत्रण/गर्भनिरोधक उपायों या यौन संचारित/यौन रोग के निदान और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती।

25. लिंग परिवर्तन ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती।

26. प्राप्तकर्ता के रूप में बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन को छोड़कर कोई भी स्टेम सेल थेरेपी।

27. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी।

28. नींद संबंधी विकार या स्लीप एपनिया सिंड्रोम, मोटापा और कोई अन्य वजन नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कोई भी उपचार।

29. अस्पताल में भर्ती पूर्व और भर्ती–पश्चात उपचार।

30. किसी भी बीमारी या चोट के लिए उपचार, जहाँ अस्पताल में रहने की अवधि चौबीस घंटे से कम है (डे केयर प्रक्रियाओं और हेमोडायलिसिस/रेडियोथेरेपी को दिए गए एचसीबी को छोड़कर।)

31. अनुच्छेद 7 में निर्दिष्ट 90 दिनों/45 दिनों की सामान्य प्रतीक्षा अवधि योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त सभी हितलाभों के लिए लागू होगी, सिवाय पॉलिसी के आरंभ के बाद हुई किसी दुर्घटना या आघात के कारण अस्पताल में भर्ती के मामले में, जहाँ यह प्रतीक्षा अवधि लागू नहीं होगी।

32. कुछ स्थितियों और प्रक्रियाओं के लिए अनुच्छेद 7 में निर्दिष्ट 24 महीनों की विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि और उनसे उत्पन्न भी जटिलता कोई योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त सभी हितलाभों पर लागू होगी।

9. वैकल्पिक राइडर हितलाभ :

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दो राइडर (राइडरों) या राइडरों के संशोधित संस्करण उपलब्ध होंगे।

1) **एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर (512B210V02):**

मूल पीआई और/या बीमित जीवनसाथी मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ बीमा राशि तक वैकल्पिक राइडर के रूप में टर्म एश्योरेंस का विकल्प चुन सकते हैं। यह राइडर केवल पॉलिसी के आरंभ/पॉलिसी में शामिल होने के समय अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है, बशर्ते पॉलिसी और राइडर की बकाया अवधि कम से कम पांच वर्ष हो और पॉलिसी चालू हो लेकिन उस पॉलिसी वर्षगाँठ से पहले जिस पर बीमित जीवन की निकटतम जन्मदिन आयु 60 वर्ष हो। बीमित जीवनसाथी की राइडर बीमा राशि पीआई की राइडर बीमा राशि से अधिक नहीं होगी।

दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, राइडर अवधि के दौरान ''मृत्यु पर टर्म राइडर बीमा राशि'' के बराबर राशि देय होगी।

2) **एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर (512B203V03):**

मूल पीआई और/या बीमित जीवनसाथी मूल पॉलिसी की बीमा सुरक्षा अवधि के भीतर किसी भी समय चालू पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ राइडर का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते मूल पॉलिसी और राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम पांच वर्ष हो लेकिन उस पॉलिसी वर्षगाँठ से पहले, जिस पर बीमित जीवन की निकटतम जन्मदिन आयु 65 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा सुरक्षा मूल पॉलिसी की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि या 70 – (प्रवेश पर आयु) वर्ष, जो भी कम हो, के दौरान होगी। प्रत्येक पात्र बीमित व्यक्ति (पीआई/बीमित जीवनसाथी) के लिए पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि मूल पॉलिसी के अंतर्गत संबंधित मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ बीमा राशि से अधिक नहीं होगी। बीमित जीवनसाथी की दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि पीआई की दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि से अधिक नहीं होगी।

यदि इस राइडर का विकल्प चुना जाता है, तो दुर्घटनावश मृत्यु होने के मामले में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि देय होगी।

दोनों राइडरों को मिलाकर किसी बीमित व्यक्ति के लिए प्रीमियम उस बीमित व्यक्ति के संबंध में मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियमों के 30% से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त राइडरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर पुस्तिका देखें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

10. प्रीमियमों का भुगतान :

प्रीमियम भुगतान वार्षिक या अर्ध–वार्षिक प्रीमियम भुगतान विधि के साथ नियमित रूप से किया जा सकता है।

प्रीमियम भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए प्रीमियम रूपांतरण कारक निम्नानुसार हैं :

प्रीमियम भुगतान विधि	प्रीमियम रूपांतरण कारक
वार्षिक	1.0000
अर्ध–वार्षिक	0.5090

अर्ध–वार्षिक प्रीमियम भुगतान विधि के लिए लागू किस्त प्रीमियम की गणना लागू प्रीमियम रूपांतरण कारक की वार्षिक प्रीमियम से गुणा करके की जाएगी।

प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में प्रीमियम पॉलिसी में प्रवेश की तिथि से पॉलिसी के अंतर्गत बीमा सुरक्षा समाप्ति की तिथि तक देय होगी और यह बीमित सदस्य की आयु, लिंग, चुने गए प्रारंभिक दैनिक हितलाभ (आईडीबी) के स्तर और बीमित सदस्य मुख्य बीमित व्यक्ति है या कोई अन्य बीमित जीवन (पॉलिसी में एक से अधिक सदस्य के लिए बीमा सुरक्षा के मामले में), इस पर निर्भर करेगा।

किसी पॉलिसी के लिए भारित की जाने वाली कुल प्रीमियम उस पॉलिसी में बीमा सुरक्षा प्रदान किए जाने वाले प्रत्येक सदस्य के संबंध में प्रीमियमों का योग होगी।

11. छूटें :

मूल योजना और राइडरों के लिए लागू छूटें निम्नानुसार हैं :

ए. उच्च प्रारंभिक दैनिक हितलाभ (आईडीबी) के लिए छूट :

किसी बीमित व्यक्ति के संबंध में, यदि आईडीबी रु. 4000 या उससे अधिक है, तो उस सदस्य के संबंध में गणना की गई प्रीमियम नीचे दी गई राशि (रु.) से कम की जाएगी :

आईडीबी (रु.)	मुख्य बीमित व्यक्ति के लिए	मुख्य बीमित व्यक्ति के अलावा प्रत्येक अन्य बीमित व्यक्ति के लिए
4000 & 4500	400	200
5000 & 5500	700	350
6000 & 6500	1000	500
7000 & 7500	1400	700
8000 & 8500	1800	900
9000 & 9500	2300	1150
10000	2800	1400

बी. ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत छूट :

ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत पूर्ण किया जाने वाला प्रस्ताव मूल योजना के साथ–साथ राइडर (राइडरों), यदि चुना गया है, के लिए सारणीबद्ध प्रीमियम पर

10% की छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते पॉलिसी किसी भी अभिकर्ता, कॉर्पोरेट अभिकर्ता, दलाल, बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से नहीं ली गई हो।

12. नमूना प्रीमियम :

निम्नांकित तालिकाओं में ऐसे विभिन्न व्यक्तियों, जिन्हें किसी एकल पॉलिसी के अंतर्गत बीमा–रक्षित किया जा सकता है, के संबंध में कुछ आयु वर्गों के लिए रु. 5000 के प्रारंभिक दैनिक हितलाभ हेतु एक सांकेतिक वार्षिक प्रीमियम दी गई है :

मुख्य बीमित व्यक्ति **राशि (रु. में)**

प्रवेश पर आयु	प्रीमियम (रु.) पुरुष मुख्य बीमित व्यक्ति	प्रीमियम (रु.) महिला मुख्य बीमित व्यक्ति
20	6555	5556
30	7195	6883
40	9446	9509
50	14895	13209
60	22350	17341

अन्य बीमित* **राशि (रु. में)**

मुख्य बीमित व्यक्ति की आयु	अन्य बीमित व्यक्ति (पुरुष) की प्रवेश पर आयु	प्रीमियम (रु.)	अन्य बीमित व्यक्ति (महिला) की प्रवेश पर आयु	प्रीमियम (रु.)
25	0	3161	0	3161
30	18	4471	18	3631
35	25	5147	25	4360
40	35	6326	35	6357
50	45	10563	45	9941
60	50	14586	50	12737

(*दी गयी आयु और लिंग के लिए उपरोक्त तालिका में वर्णित प्रीमियम अन्य बीमित के लिए लागू हैं और ये मूल बीमित राशि के लिए प्रीमियम छोड़कर हैं.) उपरोक्त प्रीमियमें कर, यदि कोई हों, को छोड़कर हैं।

13. अनुग्रह अवधि :

वार्षिक या अर्ध–वार्षिक प्रीमियमों के भुगतान के लिए प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम की तिथि से 30 दिनों की अनुग्रह अवधि दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बिना किसी रुकावट के जोखिम बीमा सुरक्षा के साथ चालू माना जाएगा। यदि अनुग्रह के दिनों की समाप्ति से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है और इस योजना के अंतर्गत देय सभी हितलाभ समाप्त हो जाते हैं।

नियत प्रीमियम के भुगतान से पहले परंतु अनुग्रह अवधि के दौरान किसी दावे के उत्पन्न होने मामले में, ऐसी अदत प्रीमियम को घटाकर हितलाभों का भुगतान किया जाएगा।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि राइडर प्रीमियमों पर भी लागू होगी जो मूल पॉलिसी के लिए प्रीमियम के साथ देय हैं।

14. पुनर्चलन :

प्रीमियमों के भुगतान नहीं होने के कारण कालातीत हुई पॉलिसी को मुख्य बीमित व्यक्ति द्वारा प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम की देय तिथि से 5 लगातार पूर्ण वर्षों की अवधि के भीतर, लेकिन पॉलिसी अवधि की समाप्ति से पहले, जैसा भी मामला हो, पुनर्चलित किया जा सकता है।

पुनर्चलन लागू अनुसार सभी बकाया प्रीमियम (प्रीमियमों) के साथ ऐसी दर पर ब्याज (अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि) सहित, जो समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जा सकती है, के भुगतान पर और प्रत्येक ऐसे बीमित व्यक्ति की निरंतर बीमायोग्यता की संतुष्टि पर प्रभावी होगा जिसकी बीमा सुरक्षा को पुनर्चलित किया जाना है, जो उन सूचनाओं, दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर होगा, जो पहले से उपलब्ध हैं और इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि और जैसी भी पुनर्चलन के समय निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो, मुख्य बीमित व्यक्ति/बीमित द्वारा प्रस्तुत की जाती है।

पुनर्चलन पर अनुच्छेद 7 और 8 में क्रमशः वर्णित प्रतीक्षा अवधि और अपवर्जन लागू होंगे।

निगम बंद हो चुकी पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बंद हो चुकी पॉलिसी का पुनर्चलन केवल तभी प्रभावी होगा जब निगम द्वारा इसे अनुमोदित, स्वीकार किया गया हो और पुनर्चलन रसीद जारी की गई हो।

इस योजना के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज की दर 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीनों की अवधि के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस को 10 वर्षीय जी-सेक दर प्रति वर्ष अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि में 3% जोड़कर, या निगम की असंबद्ध, असहभागी निधि पर अर्जित उपज में 1% जोड़कर, जो भी अधिक हो, उससे अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक प्रारंभ होने वाली 12 महीनों की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 9.5% प्रति वर्ष अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि होगी। पॉलिसी पुनर्चलन के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

राइडर (राइडरों) का पुनर्चलन, यदि चुना गया है, केवल मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ माना जाएगा न कि अलग से।

पुनर्चलन की तिथि तक कालातीत अवधि के दौरान घटित किसी घटना के लिए किसी हितलाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा, जब पॉलिसी/बीमा सुरक्षा बंद होने की अवस्था में थी।

यदि पुनर्चलन अवधि के अंत तक पॉलिसी को पुनर्चलित नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। पुनर्चलन अवधि की समाप्ति के बाद पॉलिसी/बीमा सुरक्षा के पुनर्चलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15. चुकता मूल्य :

इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी कोई चुकता मूल्य प्राप्त नहीं करेगी।

16. अभ्यर्पण मूल्य और ऋण :

इस योजना के अंतर्गत कोई अभ्यर्पण मूल्य या ऋण उपलब्ध नहीं है।

17. मुक्त अवलोकन अवधि :

यदि कोई पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों और शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो वह पॉलिसी दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो, से 30 दिनों के भीतर आपत्तियों के कारणों का उल्लेख करते हुए पॉलिसी निगम को वापस कर सकता/सकती है।

इसकी प्राप्ति पर, निगम पॉलिसी को निरस्त करेगा और प्रीमियम को वापस कर देगा। प्रीमियम की वापसी निम्नलिखित कटौतियों के अधीन होगी :

ए) पॉलिसी पर स्टाम्प शुल्क।

बी) बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए मूल पॉलिसी और राइडर (राइडरों), यदि चुना गया है, के लिए लागू आनुपातिक जोखिम प्रीमियम।

सी) बीमित व्यक्तियों की चिकित्सा परीक्षण (विशेष रिपोर्टों सहित, यदि कोई हों) पर निगम द्वारा वहन किया गया कोई भी खर्च।

18. हितलाभ बीमा सुरक्षाओं का आरंभ और समाप्ति :

पॉलिसी के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में अस्पताल नकद हितलाभ, मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ, डे केयर प्रक्रिया हितलाभ, अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ, चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ और विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ बीमा सुरक्षा नियमों और शर्तों, प्रतीक्षा अवधि और अपवर्जनों के अधीन उनकी संबंधित बीमा सुरक्षा की प्रभावी तिथि को आरंभ होगी।

प्रत्येक बीमित व्यक्ति के संबंध में अस्पताल नकद हितलाभ, मुख्य शल्य चिकित्सा हितलाभ, डे केयर प्रक्रिया हितलाभ, अन्य शल्य चिकित्सा हितलाभ, चिकित्सा प्रबंधन हितलाभ और विस्तारित अस्पताल भर्ती हितलाभ बीमा सुरक्षा निम्नलिखित में से जो भी पहले होगा, उस पर समाप्त होगी :

1. बीमा सुरक्षा समाप्ति की तिथि;
2. बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर;
3. उपरोक्त अनुच्छेद 5 में निर्दिष्टानुसार आजीवन अधिकतम हितलाभ सीमाओं को प्राप्त करने पर;
4. बीमित जीवनसाथी के संबंध में, मुख्य बीमित व्यक्ति से तलाक या विधिक अलगाव पर;
5. ऐसे बीमित व्यक्ति के संबंध में पुनर्चलन अवधि के भीतर प्रीमियम के गैर-भुगतान पर;
6. पॉलिसी की समाप्ति पर।

19. पॉलिसी की समाप्ति :

ए) यदि पॉलिसी एकल जीवन पर जारी की गई है :

पॉलिसी निम्नलिखित में से सबसे पहले के घटित होने पर समाप्त होगी :

1. पुनर्चलन अवधि के भीतर प्रीमियमों का भुगतान नहीं होना;
2. मृत्यु पर;
3. मूल योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा समाप्ति की तिथि पर;
4. उपरोक्त अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट सभी आजीवन अधिकतम हितलाभ सीमाओं को समाप्त करने पर;
5. मुक्त अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर;
6. गलत बयानी, धोखाधड़ी या अप्रकटीकरण के आधार पर बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है।

बी) यदि पॉलिसी एक से अधिक जीवन पर जारी की गई है :

पॉलिसी निम्नलिखित में से जो भी पहले होगा, पर समाप्त होगी :

1. बीमा सुरक्षा प्राप्त बीमित व्यक्ति (व्यक्तियों) के संबंध में पुनर्चलन अवधि के भीतर देय प्रीमियमों का गैर–भुगतान;
2. अंतिम जीवित बीमित सदस्य के संबंध में निम्नलिखित में से सबसे पहले :
   - ए. बीमा सुरक्षा अवधि की समाप्ति पर;
   - बी. मृत्यु पर;
   - सी. उपरोक्त अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट सभी आजीवन अधिकतम हितलाभ सीमाओं की समाप्ति पर;
3. मुक्त अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर;
4. गलत बयानी, धोखाधड़ी या अप्रकटीकरण के आधार पर बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है।

20. कुछ घटनाओं में समपहरण :

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत कथन, घोषणा और संबद्ध दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन शामिल है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई है, तो और हर ऐसे मामले में पॉलिसी शून्य होगी और उसके तहत किसी भी हितलाभ के सभी दावे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के समय–समय पर यथा–संशोधित प्रावधानों के अधीन होंगे।

21. कर :

वैधानिक कर, यदि कोई हों, जो भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लगाए गए हैं, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय–समय पर यथा–प्रयोज्य होगी।

प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियमों सहित अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हों, पर देय होगी और पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियमों के अलावा और ऊपर अलग से एकत्र की जाएगी। भुगतान किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत भुगतान किए गए प्रीमियम (प्रीमियमों) और देय हितलाभों पर आयकर लाभों/प्रभावों के संबंध में, विवरण के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

22. शिकायत निवारण तंत्र:

निगम का:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु निगम के पास शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क विवरण और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए निगम ने अपने ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहक अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/असंतोष दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति पर नज़र रख सकता है। ग्राहक किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ई-मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

दावा अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावेदारों के पास अपने मामलों को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति के समक्ष उठाने का विकल्प है। प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश होता है।

आईआरडीएआई का:

यदि ग्राहक प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या 15 दिनों के भीतर हमसे प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करता है, तो ग्राहक निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से पॉलिसीधारक के संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

1) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई ग्रीविएंस कॉल सेंटर-(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल कर सकता है.

2) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेज सकता है.

3) https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है

4) कूरियर/पत्र के माध्यम से शिकायत भेजने का पता:

   महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबावली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना।

लोकपाल का:

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जो ग्राहकों को कम लागत और शीघ्र मध्यस्थता प्रदान करता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान समय–समय पर संशोधित किए जाएंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

1. पॉलिसी की तिथि, अर्थात पॉलिसी जारी करने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, किसी से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद भी आधार पर जीवन बीमा संबंधी किसी भी पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

2. जीवन बीमा की पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी पर राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

   बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या कानूनी प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामितियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

   स्पष्टीकरण । – इस उप–धारा के उद्देश्य से ''धोखाधड़ी'' नामक अभिव्यक्ति का अर्थ बीमाधारक या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई भी कृत्य शामिल है:

   ए. सुझाव, एक तथ्य के रूप में उस बारे में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

   बी. बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिस तथ्य का उसे ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

   सी. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

   डी. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो;

स्पष्टीकरण ।। – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन को प्रभावित करने की संभावना वाले तथ्यों के बारे में केवल चुप्पी ही धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि उस प्रकरण की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि उन्हें ध्यान में रखते हुए बीमाधारक या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य बोलने के लिए मौन रहना है, या जब तक कि उसका मौन अपने आप में ही बोलने के बराबर न हो।

3. उपधारा (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी बीमाकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि बीमाधारक द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि किसी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छिपाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही था, या उसकी मंशा तथ्य को जान–बूझकर दबाने की नहीं थी, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य की ऐसी गलत–बयानी या उसे दबाना बीमाकर्ता की जानकारी में है:

बशर्ते कि धोखाधड़ी के मामले में, यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो इसका खंडन करने का दायित्व लाभार्थियों का होता है।

स्पष्टीकरण–एक व्यक्ति जिसके द्वारा बीमा अनुबंध करवाने की माँग की जाती है और इस संबंध में बातचीत की जाती है, उसे अनुबंध के निर्माण के उद्देश्य से बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

4. जीवन बीमा पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर किसी भी समय इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है, कि बीमाधारक के जीवन की प्रत्याशा के संबंध में किसी भी तथ्य का कोई भी बयान देने या उसके संबंध में कोई तथ्य दबाकर रखने का काम गलत तरीके से प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज़ में किया गया था, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या उसका पुनर्चलन किया गया था या उसके लिए राइडर जारी किए गए थे।

बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या उसके वैधानिक प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिस पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकार करने का निर्णय आधारित है:

इसके अलावा, बशर्ते कि यदि पॉलिसी को गलत बयान या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के आधार पर अस्वीकार किया जाता है, न कि धोखाधड़ी के आधार पर, तो अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर एकत्र किए गए प्रीमियम का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशिती को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उप–धारा के उद्देश्य से तथ्य का गलत बयानी करना या छिपाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसका बीमाकर्ता द्वारा उठाए गए जोखिम पर सीधा असर न होता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती तो ऐसे में बीमाधारक को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई होती।

5. इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण माँगने से रोके, यदि उसे ऐसा करने का अधिकार है, और किसी भी पॉलिसी को केवल इसलिए सवाल उठाने योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें बाद में केवल उस परवर्ती प्रमाण पर समायोजित की गई हैं, कि प्रस्ताव में बीमाधारक की आयु गलत बताई गई है।

छूट का निषेध (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41)

1) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा लेने या नवीनीकृत करवाने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी रियायत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन देने की अनुमति नहीं देगा या प्रलोभन देने का प्रस्ताव नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने या पुर्नचलन करवाने वाला कोई व्यक्ति कोई रियायत स्वीकार करेगा, जिसमें वह रियायत अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित सूची पत्रो या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।

2) इस धारा के उपबंधों के पालन में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने के साथ दंडित होगा जो दस लाख रूपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएँ, समय–समय पर यथा संशोधित लागू होते हैं।

इस उत्पाद विवरणिका में योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अन्य विवरणों के लिए, कृपया पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने के लिए कृपया www.licindia.in पर लॉग आन करें।

नकली फ़ोन कॉल्स तथा झूठे/धोखेधड़ी वाले ऑफ़र्स से सावधान

आईआरडीएआई या इनके अधिकारी बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनसों की घोषणा या प्रीमियमों का निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। अगर किसी को ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं तो कृपया पुलिस में शिकायत दर्ज करें।

भारतीय जीवन बीमा निगम

'' भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रुप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुँच सकें और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सकें। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के सात दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

डे केयर प्रक्रिया हितलाभ अनुलग्नक	
क्र.सं.	डे केयर प्रक्रिया
1	स्टेपीडोटॉमी
2	स्टेपीडेक्टमी
3	स्टेपीडेक्टमी का रिविज़न
4	ऑडिटरी ऑसिकल्स पर अन्य ऑपरेशन
5	मिरिंगोप्लास्टी (टाइप-1 टिम्पेनोप्लास्टी)
6	टिम्पेनोप्लास्टी (ईयरड्रम परफोरेशन को बंद करना/ऑडिटरी ऑसिकल्स का पुनर्निर्माण)
7	ग्रोमेट इंसर्शन के साथ मिरिंगोटॉमी
8	मैस्टॉइड फिस्टुला को बंद करना
9	टिम्पेनोप्लास्टी का रिविज़न
10	मिडिल इयर पर अन्य माइक्रोसर्जिकल ऑपरेशन
11	मिरिंगोटॉमी
12	एक्सटर्नल इयर से बिनाइन ट्यूमर का निष्कासन
13	मैस्टॉइड प्रोसेस और मिडिल इयर का इंसिज़न
14	सिंपल मैस्टॉइडेक्टमी
15	मिडिल इयर का पुनर्निर्माण
16	मिडिल और इनर इयर के अन्य एक्सिज़न
17	इनर इयर का फेनेस्ट्रेशन
18	इनर इयर के फेनेस्ट्रेशन का रिविज़न
19	पेट्रस एपिसेक्टमी
20	इनर इयर पर अन्य माइक्रोसर्जिकल ऑपरेशन
21	नाक के रोगग्रस्त ऊतक का एक्सिज़न और विनाश
22	नेज़ल टर्बिनेट्स पर ऑपरेशन
23	सेप्टोप्लास्टी (चिकित्सकीय रूप से आवश्यक)
24	फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी
25	एंडोस्कोपिक स्टेंट प्लेसमेंट/रिमूवल
26	डैक्रोसिस्टोराइनोस्टमी
27	टियर ग्लैंड/डक्ट घावों के लिए अन्य ऑपरेशन
28	टार्सोरेफी
29	आईलिड के रोगग्रस्त ऊतक का एक्सिज़न
30	कैंथस और एपिकैंथस के ऑपरेशन, जब वे क्रोनिक इंफेक्शन के कारण एडहीज़न के लिए किए जाएँ
31	एंट्रोपियन की सुधारात्मक शल्य चिकित्सा

32	ब्लेफरोप्टोसिस की सुधारात्मक शल्य चिकित्सा
33	लैक्रिमल सैक और पैसेज का एक्सिज़न
34	कॉर्निया से गहरी या एंबेडेड विदेशी वस्तु को निकालना
35	एक्ट्रोपियन की सुधारात्मक शल्य चिकित्सा
36	टेरिजियम के लिए ऑपरेशन ग्राफ्टिंग के साथ या बिना
37	कॉर्निया पर अन्य ऑपरेशन
38	आंख के लेंस से किसी बाहरी वस्तु को निकालना
39	आंख के पोस्टीरियर चैंबर से किसी बाहरी वस्तु को निकालना
40	ऑर्बिट और आईबॉल से किसी बाहरी वस्तु को निकालना
41	मोतियाबिंद सर्जरी (ईसीसीई या फैकोइमल्सिफिकेशन इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट के साथ या बिना)
42	ग्लूकोमा के लिए ऑपरेशन
43	कंजंक्टिवल फ्लैप के साथ कॉर्नियल लैसरेशन या घाव की मरम्मत
44	पाइलोनिठल साइनस की सर्जरी
45	एनेस्थीसिया के तहत घाव टॉयलेट की सर्जिकल एक्सिज़नल डिब्राइडमेंट (घाव डिब्राइडमेंट) और त्वचा और सबक्यूटेनियस टिश्यू के रोगग्रस्त ऊतक को हटाना
46	एनेस्थीसिया के तहत त्वचा और सबक्यूटेनियस टिश्यू के रोगग्रस्त ऊतक का स्थानीय एक्सिज़न या विनाश
47	पाइलोनिठल सिस्ट की सर्जरी
48	फ्री स्किन ट्रांसप्लांटेशन, रेसिपिएंट साइट
49	स्किन प्लास्टी का रिविज़न
50	स्किन कैंसर के लिए कीमोसर्जरी
51	जीभ के रोगग्रस्त ऊतक का इंसिज़न, एक्सिज़न और विनाश
52	पार्शियल ग्लोसेक्टमी
53	जीभ का पुनर्निर्माण
54	जीभ पर अन्य ऑपरेशन
55	सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवरी डक्ट्स का इंसिज़न और लैंसिंग
56	सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवरी डक्ट्स के रोगग्रस्त ऊतक का एक्सिज़न
57	सलाइवरी ग्लैंड का रिसेक्शन सलाइवरी डक्ट के साथ या उसके बिना
58	सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी डक्ट का पुनर्निर्माण
59	ओपन सियालोलिथोटॉमी
60	मुंह, जबड़े और चेहरे के क्षेत्र में एक्सटर्नल इंसिज़न और ड्रेनेज
61	रोगग्रस्त हार्ड और सॉफ्ट पैलेट का एक्सिज़न
62	ओरोफेरिंक्स से रोगग्रस्त संरचनाओं का एक्सिज़न बायोप्सी और/या विनाश

63	पैलाटोप्लास्टी
64	मुंह में अन्य ऑपरेशन
65	फेरिंजियल एब्सेस का ट्रांसओरल इंसिज़न और ड्रेनेज
66	एडेनॉइडेक्टमी के बिना टॉन्सिलेक्टमी
67	एडेनॉइडेक्टमी के साथ टॉन्सिलेक्टमी
68	लिंगुअल टॉन्सिल का एक्सिज़न और विनाश
69	टॉन्सिलर एब्सेस/क्विन्सी का ड्रेनेज
70	सेप्टिक और एसेप्टिक स्थितियों के लिए बोन का इंसिज़न और ड्रेनेज
71	फ्रैक्चर का क्लोज़्ड रिडक्शन
72	सब–लक्सेशन का क्लोज़्ड रिडक्शन
73	ऑस्टियोसिंथेसिस के साथ एपिफिसियोलिसिस
74	टेंडन और टेंडन शीथ पर सचर और अन्य ऑपरेशन
75	जीए के तहत डिस्लोकेशन का रिडक्शन
76	आर्थ्रोस्कोपिक नी एस्पिरेशन
77	ब्रेस्ट एब्सेस का इंसिज़न और ड्रेनेज
78	निप्पल पर ऑपरेशन, सिवाय जन्मजात इनवर्टेड निप्पल के
79	पेरिएनल क्षेत्र में टिश्यू का इंसिज़न और एक्सिज़न
80	एनल फिस्टुला का सर्जिकल उपचार
81	हेमोरॉइड्स का सर्जिकल उपचार
82	एनल स्फिंक्टर का डिवीज़न (स्फिंक्टेरोटॉमी)
83	एनस के अन्य ऑपरेशन
84	अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन ऑफ डीप सीटेड रेक्टल एब्सेस
85	स्क्लेरोथेरेपी
86	डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्ट्रिक्चर्स का डाइलेशन
87	एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटॉमी
88	कोलन का एंडोस्कोपिक डीकंप्रेशन
89	एंडोस्कोपिक पोलीपेक्टमी
90	ओवरी का इंसिज़न
91	फैलोपियन ट्यूब्स पर अन्य ऑपरेशन
92	सर्विकल कैनाल का डाइलेटेशन
93	यूटेराइन सर्विक्स का कोनाइज़ेशन
94	यूटेरस का इंसिज़न (हिस्टेरोटॉमी) एमटीपी के भाग के रूप में नहीं
95	थेरेप्यूटिक/डायग्नोस्टिक डाइलेटेशन और क्यूरेटेज (एमटीपी के भाग के रूप में नहीं)

96	कल्डोटॉमी
97	हाइमेनेक्टमी
98	वेजाइना और पाउच ऑफ डगलस के रोगग्रस्त ऊतक का लोकल एक्सिज़न और विनाश
99	वल्वा का इंसिज़न और ड्रेनेज
100	बार्थोलिन ग्लैंड्स (सिस्ट) पर ऑपरेशन
101	हिस्टेरोस्कोप गाइडेड बायोप्सी ऑफ यूटेरस
102	सुप्राप्यूबिक साइटोस्टोमी
103	प्रोस्टेटिक एब्सेस का ड्रेनेज
104	प्रोस्टेट टिश्यू का ट्रांसयूरेथ्रल एक्सिज़न और विनाश
105	प्रोस्टेट टिश्यू का पर्क्यूटेनियस एक्सिज़न और विनाश
106	सेमिनल वेसिकल का एक्सिज़न
107	पेरिप्रोस्टेटिक टिश्यू का इंसिज़न और एक्सिज़न
108	स्क्रोटम और ट्यनिका वेजाइनलिस टेस्टिस का इंसिज़न और ड्रेनेज
109	टेस्टिक्युलर हाइड्रोसील पर ऑपरेशन
110	हाइड्रोसील का एक्सिज़न या एवर्शन
111	टेस्टिस का इंसिज़न और ड्रेनेज
112	टेस्टिक्युलर लीजन का एक्सिज़न या विनाश
113	यूनिलेटरल ऑर्किडेक्टमी
114	टेस्टिस पर अन्य ऑपरेशन
115	वेरीकोसील और स्पर्मेटिक कॉर्ड के हाइड्रोसील का सर्जिकल उपचार
116	एपिडिडिमल सिस्ट का एक्सिज़न
117	एपिडिडिमेक्टमी
118	स्पर्मेटिक कॉर्ड, एपिडिडिमिस और डक्टस डेफरेंस पर अन्य ऑपरेशन (वैसेक्टमी के अलावा)
119	सर्कमसिज़न और फोरस्किन पर अन्य ऑपरेशन (यदि चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो)
120	पेनिस के रोगग्रस्त ऊतक का लोकल एक्सिज़न और विनाश
121	पेनिस पर अन्य ऑपरेशन
122	सिस्टोस्कोपिक स्टोन रिमूवल
123	लिथोट्रिप्सी
124	कोरोनरी एंजियोग्राफी
125	ब्लीडिंग लीजन का ब्रोंकोस्कोपिक ट्रीटमेंट
126	फिस्टुला/स्टेंटिंग का ब्रोंकोस्कोपिक ट्रीटमेंट
127	ब्रोंकोएल्वियोलर लैवेज और बायोप्सी

128	पेरिकार्डियोसेंटेसिस
129	इन्फीरियर वेना कावा में फिल्टर इंसर्शन
130	आर्टरी या वेन में जेल फोम इंसर्शन
131	कैरोटिड एंजियोप्लास्टी या एथेरेक्टमी
132	रीनल एंजियोप्लास्टी
133	ट्यूमर एम्बोलाइज़ेशन
134	स्यूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट का एंडोस्कोपिक ड्रेनेज
135	वेरिकोज वेन स्ट्रिपिंग या लिगेशन
136	ड्यूप्यूट्रेन कॉन्ट्रैक्चर का एक्सिज़न
137	कार्पल टनल डीकंप्रेशन
138	पीसीएनएस (पर्क्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी)
139	पीसीएनएल (पर्क्यूटेनियस नेफ्रो लिथोटॉमी)
140	नेल बेड डिफॉर्मिटी/रिसेक्शन और रिकंस्ट्रक्शन
141	वर्टेब्रल एंजियोप्लास्टी या एथेरेक्टमी
142	वेन में स्क्लेरोज़िंग एजेंट का इंजेक्शन
143	एसोफेजियल स्ट्रिक्चर की मरम्मत
144	रेक्टल स्ट्रिक्चर का इंसिज़न
145	पेरिरेक्टल फिस्टुला की मरम्मत
146	एंडोस्कोपिक अप्रोच द्वारा एसोफेजियल नियोप्लाज़्म का एब्लेशन
147	एंडोस्कोपिक अप्रोच द्वारा एसोफेजियल ब्लीडिंग का कंट्रोल
148	सेंगस्टेकेन ट्यूब इंसर्शन (ब्लीडिंग वेरिसेज के लिए एसोफेजियल टैम्पोनेड)
149	एंडोस्कोपिक अप्रोच द्वारा एसोफेजियल वेरिसेज बैंडिंग
150	एंडोस्कोपिक अप्रोच द्वारा एसोफेजियल वेरिसेज इंजेक्शन
151	लैप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टमी
152	ओपन एपेंडेक्टमी
153	एपेंडिसियल फिस्टुला को बंद करना
154	पर्क्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी (पीईजी)
155	गैस्ट्रिक वेरिसेज का एंडोस्कोपिक एक्सिज़न या विनाश
156	गॉलब्लैडर का पर्क्यूटेनियस एस्पिरेशन
157	एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलैंजियोग्राफी (ईआरसी)
158	एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड पैंक्रियाटोग्राफी (ईआरपी)
159	बाइल डक्ट में स्टेंट (ट्यूब) का एंडोस्कोपिक इंसर्शन
160	एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलैंजियोपैंक्रियाटोग्राफी (ईआरसीपी) बाइल डक्ट में स्टेंट इंसर्शन के साथ या बिना

161	इंट्रा–एब्डॉमिनल वीनस शंट–मेसोकैवल
162	इंट्रा–एब्डॉमिनल वीनस शंट–पोर्टाकैवल
163	इंट्रा–एब्डॉमिनल वीनस शंट–पोर्टल वेन टू इन्फीरियर वेना कावा
164	इंट्रा–एब्डॉमिनल वीनस शंट–स्प्लेनिक और रीनल वेन्स
165	पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए टिप्स प्रोसीजर (ट्रांस जुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टेमिक शंट)
166	पैरोटिड ग्लैंड और डक्ट का इंसिज़न और लैंसिंग
167	सलाइवरी फिस्टुला को बंद करना
168	सलाइवरी ग्लैंड के लैसरेशन का सुचर
169	सलाइवरी डक्ट की प्रोबिंग
170	हेमोरॉइड्स का इंजेक्शन
171	टेम्परी कोलोस्टमी
172	इंसिज़न द्वारा टॉन्सिल और एडेनॉइड से विदेशी वस्तु को निकालना
173	टॉन्सिल और एडेनॉइड के लीजन का एक्सिज़न
174	रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस का ड्रेनेज (ओरल) (ट्रांससर्विकल)
175	पेरिटॉन्सिलर एब्सेस का ड्रेनेज (ओरल) (ट्रांससर्विकल)
176	पैराफेरिंजियल एब्सेस का ड्रेनेज (ओरल) (ट्रांससर्विकल)
177	मिडिल और इंटर्नल इयर पर अन्य ऑपरेशन
178	टॉन्सिलेक्टमी के बिना एडेनॉइडेक्टमी
179	ट्रेकियोस्टमी
180	आईलिड टोसिस का करेक्शन
181	कॉर्निया के पोस्टऑपरेटिव वाउंड डिहिसेंस की मरम्मत
182	लेज़र फोटोकोएगुलेशन/क्रायोथेरेपी द्वारा कोरियोरेटिनल लीजन का विनाश
183	फोटोकोएगुलेशन द्वारा रेटिनल टियर की मरम्मत
184	क्रायोथेरेपी के साथ रेटिनल डिटैचमेंट की मरम्मत
185	लेज़र फोटोकोएगुलेशन के साथ रेटिनल डिटैचमेंट की मरम्मत
186	सौम्य स्थितियों के लिए लैप्रोस्कोपिक/एब्डॉमिनल हिस्टेरेक्टमी (पेल्विक फ्लोर रिपेयर के साथ/बिना, सैल्पिंगो–ऊफोरेक्टमी के साथ/बिना)
187	एक्टोपिक प्रेग्नेंसी को हटाना
188	ओवेरियन सिस्ट पर ऑपरेशन
189	पैर की उंगली/उंगलियों का एम्प्यूटेशन
190	इंटर्नल फिक्सेशन के साथ फ्रैक्चर का ओपन रिडक्शन (कार्पल्स और मेटा–कार्पल्स, हाथ की फैलेन्जेस, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स, पैर की फैलेन्जेस)
191	ओपन फ्रैक्चर की डिब्राइडमेंट, अनस्पेसिफाइड साइट
192	इंटर्नल फिक्सेशन के साथ फ्रैक्चर का ओपन रिडक्शन, अनस्पेसिफाइड साइट

193	एक्सटर्नल फिक्सेटर डिवाइस का एप्लिकेशन (ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स)
194	एक्सटर्नल फिक्सेटर डिवाइस का एप्लिकेशन (फीमर, पटेला, टिबिया और फिबुला, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स)
195	एक्सटर्नल फिक्सेटर डिवाइस का एप्लिकेशन, स्कैपुला, क्लैविकल और थोरैक्स
196	दांतों के स्टेबिलाइज़ेशन के साथ एल्वियोलर फ्रैक्चर का रिडक्शन
197	ड्रेनेज के लिए इंटरकोस्टल कैथेटर इंसर्शन
198	टार्सल टनल रिलीज़
199	हर्निया की मरम्मत
200	बोन मेरो की बायोप्सी
201	कैंसर कीमोथेरेप्यूटिक पदार्थ का इंजेक्शन या इन्फ्यूज़न (कीमोएम्बोला-इज़ेशन/एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट का इंजेक्शन या इन्फ्यूज़न)
202	रेडियोआइसोटोपिक टेलीरेडियोथेरेपी
203	सुपरफिशियल रेडिएशन (कॉन्टैक्ट रेडिएशन 150 केवीपी तक)
204	ऑर्थोवोल्टेज रेडिएशन (डीप रेडिएशन 200-300 केवीपी)
205	लिक्विड ब्रैकीथेरेपी रेडियोआइसोटोप का इन्फ्यूज़न - आई-125 रेडियोआइसोटोप (शामिल है: रेडियोआइसोटोप को हटाना)
206	इंट्राकैविटरी ब्रैकीथेरेपी (शामिल है: रेडियोआइसोटोप को हटाना)
207	अन्य पार्टिक्युलेट रेडिएशन की टेलीरेडियोथेरेपी (न्यूट्रॉन्स/प्रोटॉन्स/नॉन स्पेसिफिक)
208	रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का इम्प्लांटेशन या इंसर्शन - इंट्रावैस्कुलर ब्रैकीथेरेपी
209	रेडियोआइसोटोप्स का इंजेक्शन या इंस्टिलेशन
210	अन्य रेडियोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर
211	रीनल डायलिसिस के लिए आर्टीरियो-वीनस फिस्टुला
212	प्रोस्टेटोलिथोटॉमी
213	पेरिप्रोस्टेटिक एब्सेस का ड्रेनेज
214	ट्यूनिका वेजाइनलिस के हेमाटोसील का एक्सिज़न
215	स्क्रोटम के लीजन का फल्गुरेशन
216	स्क्रोटम के एलिफेंटियासिस का रिडक्शन
217	स्क्रोटम का पार्शियल स्क्रोटेक्टमी
218	स्क्रोटल फिस्टुला की मरम्मत
219	स्क्रोटम और ट्यूनिका वेजाइनलिस के लैसरेशन का सचर
220	स्क्रोटम के लीजन या टिश्यू का एक्सिज़न या विनाश
221	इंसिज़न के बिना यूरेटर या रीनल पेल्विस से ब्लड क्लॉट को हटाना
222	इंसिज़न के बिना यूरेटर या रीनल पेल्विस से कैल्कुलस को हटाना

223	इंसिज़न के बिना यूरेटर या रीनल पेल्विस से विदेशी वस्तु को हटाना
224	क्रोनिक रीनल फेलियर के लिए मेंटेनेंस हीमो डायलिसिस
225	एक्यूट रीनल फेलियर के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस या हीमो डायलिसिस
226	किडनी, यूरेटर और/या ब्लैडर की एक्स्ट्राकॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी ईएसडब्ल्यूएल
227	यूरेथ्रल स्फिंक्टर की कटिंग
228	इंटर्नल यूरेथ्रल मीटोटॉमी
229	यूरेथ्रोलिसिस
230	यूरेथ्रोवेसिकल जंक्शन का डाइलेशन
231	यूरेथ्रा के माध्यम से साउंड्स का पैसेज
232	इंसिज़न के बिना यूरेथ्रा से कैल्कुलस को हटाना
233	किडनी की क्लोज़्ड पर्क्यूटेनियस नीडल बायोप्सी
234	किडनी की ओपन बायोप्सी
235	वोकल कॉर्ड्स का एक्सिज़न
236	लैरिंजियल कार्टिलेज का एक्सिज़न
237	एपिग्लोटिडेक्टमी
238	ब्रोंकस और ट्रेकिया का अन्य लैवेज
239	ब्रोंकोस्टमी को बंद करना
240	लैरिंजियल सिस्ट का मार्सुपियलाइज़ेशन
241	हाथ में फुल-थिकनेस स्किन ग्राफ्ट
242	हाथ में अन्य स्किन ग्राफ्ट
243	अन्य साइट्स में फुल-थिकनेस स्किन ग्राफ्ट

प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ अनुलग्नक

क्र.सं.	प्रमुख शल्य चिकित्साओं की सूची	प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ बीमा राशि का %	श्रेणी
1	**कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम (हृदय और रक्त वाहिकाएं)**		
1	एओर्टा की मेजर सर्जरी	100%	श्रेणी 1
2	सीएबीजी (कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग)	100%	श्रेणी 1
3	टिश्यू या प्रोस्थेटिक वाल्व का उपयोग करके हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट	100%	श्रेणी 1

4	प्रॉक्सिमल एओर्टिक एन्यूरिज़्म के लिए कोरोनरी आर्टरी रीइम्प्लांटेशन के साथ एओर्टिक रूट ट्रांसप्लांटेशन	100%	श्रेणी 1
5	ग्राफ्ट्स या डिवाइस के साथ थोरेसिक एओर्टा के डिफेक्ट की एंडोवैस्कुलर मरम्मत	100%	श्रेणी 1
6	ग्राफ्ट्स या डिवाइस के साथ एब्डॉमिनल एओर्टिक एन्यूरिज़्म की एंडोवैस्कुलर मरम्मत	100%	श्रेणी 1
7	एनास्टोमोसिस के साथ वेसल का रिसेक्शन, एओर्टा	100%	श्रेणी 1
8	हृदय में परमानेंट पेसमेकर का इनिशियल इम्प्लांटेशन	60%	श्रेणी 2
9	माइट्रल वाल्व रिपेयर (ओपन हार्ट वाल्वुलोप्लास्टी)	60%	श्रेणी 2
10	एओर्टिक वाल्व रिपेयर (ओपन हार्ट वाल्वुलोप्लास्टी)	60%	श्रेणी 2
11	ट्राइकसपिड वाल्व रिपेयर (ओपन हार्ट वाल्वुलोप्लास्टी)	60%	श्रेणी 2
12	पल्मोनरी वाल्व रिपेयर (ओपन हार्ट वाल्वुलोप्लास्टी)	60%	श्रेणी 2
13	बिनाइन मीडियास्टिनल लीज़न का एक्सिज़न	60%	श्रेणी 2
14	मैलिग्नेंट मीडियास्टिनल लीज़न का एक्सिज़न	60%	श्रेणी 2
15	पेरिकार्डेक्टमी	40%	श्रेणी 3
16	स्टेंट इम्प्लांटेशन के साथ कोरोनरी एंजियोप्लास्टी (दो या अधिक कोरोनरी आर्टरीज़ या दो या अधिक स्टेंट्स इम्प्लांट किए गए)	40%	श्रेणी 3
17	ट्रॉमेटिक और नॉन–ट्रॉमेटिक लीज़न के लिए मेजर वेन रिपेयर ग्राफ्टिंग के साथ या बिना	40%	श्रेणी 3
18	इंट्राक्रेनियल वैस्कुलर स्टेंट के इंसर्शन के साथ या बिना पर्क्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी	40%	श्रेणी 3
19	बैसिलर एंजियोप्लास्टी या एथेरेक्टमी	40%	श्रेणी 3
20	क्लोज़्ड हार्ट वाल्वोटॉमी	40%	श्रेणी 3
21	वीनस वाल्व्स का कंस्ट्रक्शन (पेरिफेरल)	40%	श्रेणी 3
22	एंडोग्राफ्ट्स के साथ अन्य वेसल्स की अन्य एंडोवैस्कुलर मरम्मत (एन्यूरिज़्म की)	40%	श्रेणी 3
23	कॉइल एम्बोलाइज़ेशन या ऑक्लूज़न के साथ अन्य वेसल्स की अन्य एंडोवैस्कुलर मरम्मत (एन्यूरिज़्म की)	40%	श्रेणी 3

24	लिक्विड टिश्यू एडहेसिव (ग्लू) एम्बोलाइज़ेशन या ऑक्लूज़न के साथ अन्य वेसल्स की अन्य एंडोवैस्कुलर मरम्मत (एन्यूरिज़्म की)	40%	श्रेणी 3
25	टिश्यू पैच ग्राफ्ट या सिंथेटिक पैच ग्राफ्ट के साथ ब्लड वेसल की मरम्मत	40%	श्रेणी 3
26	एम्बोलेक्टमी/थ्रोम्बेक्टमी ग्राफ्ट के साथ या बिना	40%	श्रेणी 3
27	एंडार्टेरेक्टमी ग्राफ्ट के साथ या बिना	40%	श्रेणी 3
28	पेरिकार्डियोटॉमी	20%	श्रेणी 4
29	एन्यूरिज़्म की क्लिपिंग या मरम्मत	20%	श्रेणी 4
30	सिंगल स्टेंट इम्प्लांटेशन के साथ कोरोनरी एंजियोप्लास्टी	20%	श्रेणी 4
31	एक्सप्लोरेटरी थोरैकोटॉमी	20%	श्रेणी 4
32	आर्टीरियोप्लास्टी (नॉन स्पेसिफिक)	20%	श्रेणी 4
33	वेन का प्लिकेशन (पेरिफेरल)	20%	श्रेणी 4
34	पर्क्यूटेनियस (बैलून) वाल्वुलोप्लास्टी	20%	श्रेणी 4
35	वेना कावा का लिगेशन (इन्फीरियर) (सुपीरियर)	20%	श्रेणी 4
2	**नर्वस सिस्टम (तंत्रिका तंत्र)**		
36	सेरेब्रल या स्पाइनल आर्टीरियो–वीनस मालफॉर्मेशन या एन्यूरिज़्म की मरम्मत	100%	श्रेणी 1
37	मैलिग्नेंट सेरेब्रल ट्यूमर के लिए क्रेनियोटॉमी	100%	श्रेणी 1
38	पाइनियल ग्लैंड का एक्सिज़न	100%	श्रेणी 1
39	पिट्यूटरी ग्लैंड का टोटल एक्सिज़न, अनस्पेसिफाइड अप्रोच	100%	श्रेणी 1
40	हेमिस्फेरेक्टमी	100%	श्रेणी 1
41	ब्रेन का लोबेक्टमी	100%	श्रेणी 1
42	ब्रेन की क्यूरेटेज/डिब्राइडमेंट	100%	श्रेणी 1
43	ब्रेन सिस्ट का मार्सुपियलाइज़ेशन	100%	श्रेणी 1
44	ट्रांस टेम्पोरल (मैस्टॉइड) ब्रेन ट्यूमर का एक्सिज़न	100%	श्रेणी 1
45	लोबोटॉमी और ट्रैक्टोटॉमी (ब्रेन टिश्यू/ सेरेब्रल ट्रैक्ट्स का डिवीज़न)	100%	श्रेणी 1
46	पर्क्यूटेनियस (रेडियोफ्रीक्वेंसी) सिंगुलोटॉमी	100%	श्रेणी 1
47	एमिग्डालोहिप्पोकैम्पोटॉमी	100%	श्रेणी 1
48	इंट्रासेरेब्रल हेमाटोमा का ड्रेनेज	100%	श्रेणी 1
49	नॉन–मैलिग्नेंट स्पेस ऑक्यूपाइंग लीज़न के लिए क्रेनियोटॉमी	60%	श्रेणी 2

50	ब्रेन के सुबाराकैनॉइड स्पेस पर ऑपरेशन	60%	श्रेणी 2
51	क्रेनियल नर्व का इंट्राक्रेनियल ट्रांसेक्शन	60%	श्रेणी 2
52	ब्रेन के मेनिंजेज़ पर अन्य ऑपरेशन	60%	श्रेणी 2
53	क्रेनियल नर्व्स का माइक्रोवैस्कुलर डीकंप्रेशन/नर्वेक्टमी	60%	श्रेणी 2
54	एपिड्यूरल एब्सेस को हटाने के साथ क्रेनियोटॉमी	60%	श्रेणी 2
55	स्कल की किसी बाहरी वस्तु को हटाने के साथ क्रेनियोटॉमी	60%	श्रेणी 2
56	ब्रेन की ओपन बायोप्सी	60%	श्रेणी 2
57	स्कल का क्रेनिएक्टमी (डिब्राइडमेंट/सीक्वेस्ट्रेक्टमी)	60%	श्रेणी 2
58	क्रेनियोटॉमी द्वारा एकाउस्टिक न्यूरोमा का एक्सिज़न	60%	श्रेणी 2
59	एक्स्ट्राड्यूरल, सबड्यूरल या इंट्रासेरेब्रल स्पेस के ड्रेनेज के लिए क्रेनियोटॉमी	40%	श्रेणी 3
60	एंट्रैपमेंट सिंड्रोम के लिए डीकंप्रेशन सर्जरी	40%	श्रेणी 3
61	पेरिफेरल नर्व ग्राफ्ट	40%	श्रेणी 3
62	फेशियल नर्व पैरालिसिस के लिए फ्री फेशिया ग्राफ्ट	40%	श्रेणी 3
63	डीप सीटेड पेरिफेरल नर्व ट्यूमर का एक्सिज़न	40%	श्रेणी 3
64	डिजिटल नर्व की मल्टिपल माइक्रोसर्जिकल रिपेयर	40%	श्रेणी 3
65	स्पाइन के फ्रैक्चर का फिक्सेशन	40%	श्रेणी 3
66	स्कल की बायोप्सी	40%	श्रेणी 3
67	ब्रेन की क्लोज़्ड पर्क्यूटेनियस नीडल बायोप्सी (बर होल अप्रोच/स्टीरियोटैक्टिक मेथड)	40%	श्रेणी 3
68	सेरेब्रल मेनिंजेज़ की क्लोज़्ड पर्क्यूटेनियस नीडल बायोप्सी	40%	श्रेणी 3
69	ट्राइजेमिनल नर्व रूट का डीकंप्रेशन	40%	श्रेणी 3
70	अन्य क्रेनियल नर्व डीकंप्रेशन	40%	श्रेणी 3
71	ट्राइजेमिनल नर्व का डिवीज़न (रेट्रोगैसेरियन न्यूरोटॉमी)	40%	श्रेणी 3
72	हेड और नेक वेसल से ऑब्सट्रक्शन की एंडोवैस्कुलर रिमूवल	40%	श्रेणी 3
73	वेंट्रिकल से सिस्टर्ना मैग्ना/वेंट्रिक्युलोसिस्टर्नल इंट्यूबेशन और होल्टर वाल्व इंसर्शन (वेंट्रिक्युलोस्टमी) का एनास्टोमोसिस	40%	श्रेणी 3

74	क्रेनियल नर्व ग्राफ्ट	40%	श्रेणी 3
75	क्रायोहाइपोफिसेक्टमी, कम्प्लीट ट्रांसफ्रंटल अप्रोच (टोटल)	40%	श्रेणी 3
76	इम्प्लांटेशन द्वारा पिट्यूटरी का एब्लेशन (स्ट्रॉन्शियम–इट्रियम) (वाई) ट्रांसफ्रंटल अप्रोच (टोटल)	40%	श्रेणी 3
77	पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्शियल एक्सिज़न, ट्रांसफ्रंटल अप्रोच	40%	श्रेणी 3
78	पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्शियल एक्सिज़न, अनस्पेसिफाइड अप्रोच	40%	श्रेणी 3
79	बर–होल ड्रेनेज ऑफ एक्स्ट्राड्यूरल, सबड्यूरल या इंट्रासेरेब्रल स्पेस	20%	श्रेणी 4
80	क्रेनियल पंक्चर एस्पिरेशन: सबड्यूरल स्पेस	20%	श्रेणी 4
81	क्रेनियल पंक्चर एस्पिरेशन: एंटीरियर फॉन्टेनेल	20%	श्रेणी 4
82	स्पाइनल कैनाल का डीकंप्रेशन–लैमिनेक्टमी/फोरामिनोटॉमी	20%	श्रेणी 4
83	इंट्रास्पाइनल कैनाल की एक्सप्लोरेशन के लिए लैमिनेक्टमी	20%	श्रेणी 4
84	इंटरवर्टेब्रल डिस्क का एक्सिज़न या विनाश	20%	श्रेणी 4
85	थोरेसिक कैविटी में वेंट्रिक्युलर शंट (वेंट्रिक्युलोप्लुरल एनास्टोमोसिस)	20%	श्रेणी 4
86	एब्डॉमिनल कैविटी और अंगों में वेंट्रिक्युलर शंट (वेंट्रिक्युलोकोलेसिस्टोस्टमी/वेंट्रिक्युलोपेरिटोनियोस्टमी)	20%	श्रेणी 4
87	वेंट्रिक्युलर शंट का रिप्लेसमेंट	20%	श्रेणी 4
88	पिट्यूटरी ग्लैंड का टोटल/पार्शियल एक्सिज़न, ट्रांसस्फेनॉइडल अप्रोच	20%	श्रेणी 4
3	**रेस्पिरेटरी सिस्टम (श्वसन तंत्र)**		
89	न्यूमोनेक्टमी	60%	श्रेणी 2
90	डायाफ्रेगमेटिक/हायटस हर्निया रिपेयर	60%	श्रेणी 2
91	थोरैकोप्लास्टी	60%	श्रेणी 2
92	लंग का ओपन लोबेक्टमी	60%	श्रेणी 2
93	ब्रोंकस का पार्शियल एक्सटर्पेशन	60%	श्रेणी 2
94	पार्शियल फेरिंजेक्टमी	60%	श्रेणी 2
95	टोटल फेरिंजेक्टमी	60%	श्रेणी 2
96	टोटल लैरिंजेक्टमी	60%	श्रेणी 2
97	डायाफ्रेगमेटिक ट्यूमर का एक्सिज़न	60%	श्रेणी 2
98	मैलिग्नेंट ओरो–फेरिंजियल ट्यूमर का वाइड एक्सिज़न और मेजर रिकंस्ट्रक्शन	60%	श्रेणी 2

99	लंग का थोरैकोस्कोपिक सेगमेंटल रिसेक्शन/पार्शियल लोबेक्टमी	60%	श्रेणी 2
100	लंग का ओपन सेगमेंटल रिसेक्शन/पार्शियल लोबेक्टमी	60%	श्रेणी 2
101	लंग का थोरैकोस्कोपिक लोबेक्टमी	60%	श्रेणी 2
102	ब्रोंकस का रिसेक्शन (वाइड स्लीव)	60%	श्रेणी 2
103	प्लूरेक्टमी या प्लूरल डीकोर्टिकेशन	40%	श्रेणी 3
104	विभिन्न लीज़न के लिए ट्रेकियल रिकंस्ट्रक्शन	40%	श्रेणी 3
105	हेमिलैरिंजेक्टमी	40%	श्रेणी 3
106	पार्शियल लैरिंजेक्टमी	40%	श्रेणी 3
107	लैरिंक्स के लीज़न या टिश्यू का अन्य एक्सिज़न या विनाश	40%	श्रेणी 3
4	**डाइजेस्टिव सिस्टम (पाचन तंत्र)**		
108	एसोफेगस और स्टमक का एक्सिज़न	100%	श्रेणी 1
109	कोलो–एनल एनास्टोमोसिस के साथ रेक्टम का एब्डॉमिनल–पेरिनियल पुल थ्रू रिसेक्शन	100%	श्रेणी 1
110	सिंक्रोनस ड्यूओडेनेक्टमी के साथ टोटल पैंक्रियाटेक्टमी	100%	श्रेणी 1
111	कोलेडोकोजेजुनल एनास्टोमोसिस, पैंक्रियाटिकोजेजुनल एनास्टोमोसिस, और गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी के साथ वन–स्टेज पैंक्रियाटिकोड्यूओडेनल रिसेक्शन	100%	श्रेणी 1
112	टू–स्टेज पैंक्रियाटिकोड्यूओडेनल रिसेक्शन (फर्स्ट स्टेज) (सेकेंड स्टेज)	100%	श्रेणी 1
113	रेडिकल पैंक्रियाटिकोड्यूओडेनेक्टमी (व्हिपल्स प्रोसीजर)	100%	श्रेणी 1
114	स्प्लेनेक्टमी	60%	श्रेणी 2
115	एसोफेगस का टोटल एक्सिज़न	60%	श्रेणी 2
116	स्टमक का टोटल एक्सिज़न	60%	श्रेणी 2
117	लिवर का पार्शियल रिसेक्शन	60%	श्रेणी 2
118	पार्शियल पैंक्रियाटेक्टमी	60%	श्रेणी 2
119	अन्य लोब के पार्शियल एक्सिज़न के साथ टोटल हेपेटिक लोबेक्टमी	60%	श्रेणी 2
120	रेडिकल सबटोटल पैंक्रियाटेक्टमी	60%	श्रेणी 2
121	यूनिलेटरल या बाइलेटरल सिम्पैथेक्टमी	40%	श्रेणी 3
122	डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी भी भाग का रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस	40%	श्रेणी 3
123	पेप्टिक अल्सर के उपचार के लिए ओपन सर्जरी	40%	श्रेणी 3
124	टोटल ग्लोसेक्टमी	40%	श्रेणी 3

125	विभिन्न गॉलब्लैडर लीज़न के लिए कोलेसिस्टेक्टमी/कोलेडोकोटॉमी	40%	श्रेणी 3
126	पैंक्रियाटोलिथोटॉमी	40%	श्रेणी 3
127	पेप्टिक अल्सर के लिए गैस्ट्रिक या ड्यूओडेनल ब्लीडिंग के लिए ट्रांसकैथेटर एम्बोलाइज़ेशन	40%	श्रेणी 3
128	एसोफेगस का पार्शियल एक्सिज़न	40%	श्रेणी 3
129	पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी	40%	श्रेणी 3
130	नेक डाइसेक्शन और ट्रेकियोस्टमी के साथ रेडिकल ग्लोसेक्टमी	40%	श्रेणी 3
131	सिम्पैथेटिक नर्व का एक्सिज़न या एवल्शन	40%	श्रेणी 3
132	सर्जिकल/ओपन गैस्ट्रोस्टमी	20%	श्रेणी 4
133	परमानेंट कोलोस्टमी	20%	श्रेणी 4
5	**मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम (मांसपेशी और कंकाल तंत्र)**		
134	अपर लिम्ब का रीप्लांटेशन	60%	श्रेणी 2
135	लोअर लिम्ब का रीप्लांटेशन	60%	श्रेणी 2
136	ट्रॉमा या बर्न्स के कारण मेजर रिकंस्ट्रक्टिव ओरो–मैक्सिलोफेशियल सर्जरी और कॉस्मेटिक उद्देश्य के लिए नहीं	60%	श्रेणी 2
137	सीमेंट का उपयोग करके हिप जॉइंट का टोटल प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
138	सीमेंट का उपयोग न करके हिप जॉइंट का टोटल प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
139	हिप जॉइंट का अन्य टोटल प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
140	सीमेंट का उपयोग करके नी जॉइंट का टोटल प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
141	सीमेंट का उपयोग न करके नी जॉइंट का टोटल प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
142	नी जॉइंट का अन्य टोटल प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
143	सीमेंट का उपयोग करके अन्य जॉइंट का टोटल प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
144	सीमेंट का उपयोग न करके अन्य जॉइंट का टोटल प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
145	अन्य जॉइंट का अन्य टोटल प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
146	सीमेंट का उपयोग करके फीमर के हेड का प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3

147	सीमेंट का उपयोग न करके फीमर के हेड का प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
148	फीमर के हेड का अन्य प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
149	सीमेंट का उपयोग करके ह्यूमरस के हेड का प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
150	सीमेंट का उपयोग न करके ह्यूमरस के हेड का प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
151	ह्यूमरस के हेड का अन्य प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
152	सीमेंट का उपयोग करके किसी अन्य बोन का प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
153	सीमेंट का उपयोग न करके किसी अन्य बोन का प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
154	किसी अन्य बोन का अन्य प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट	40%	श्रेणी 3
155	जॉइंट का प्रोस्थेटिक इंटरपोजीशन रिकंस्ट्रक्शन	40%	श्रेणी 3
156	जॉइंट का अन्य इंटरपोजीशन रिकंस्ट्रक्शन	40%	श्रेणी 3
157	जॉइंट का एक्सिज़न रिकंस्ट्रक्शन	40%	श्रेणी 3
158	जॉइंट का अन्य रिकंस्ट्रक्शन	40%	श्रेणी 3
159	लिम्ब के लिए प्रोस्थेसिस का इम्प्लांटेशन	40%	श्रेणी 3
160	बाँह का एम्प्यूटेशन	40%	श्रेणी 3
161	पैर का एम्प्यूटेशन	40%	श्रेणी 3
162	फ्रैक्चर्ड ज़ाइगोमा का एलिवेशन, एक्सप्लोरेशन और फिक्सेशन	40%	श्रेणी 3
163	फोरक्वार्टर एम्प्यूटेशन (इंटरथोरैकोस्कैप्युलर एम्प्यूटेशन)	40%	श्रेणी 3
164	हिंडक्वार्टर एम्प्यूटेशन (एब्डोमिनोपेल्विक एम्प्यूटेशन/हेमिपेल्वेक्टमी)	40%	श्रेणी 3
165	बोन ग्राफ्ट/डिवाइस के साथ या बिना एटलस–एक्सिस स्पाइनल फ्यूज़न	40%	श्रेणी 3
166	बोन ग्राफ्ट/डिवाइस के साथ या बिना अन्य सर्विकल फ्यूज़न, एंटीरियर टेक्नीक, सी2 लेवल या नीचे	40%	श्रेणी 3
167	बोन ग्राफ्ट/डिवाइस के साथ या बिना अन्य सर्विकल फ्यूज़न, पोस्टीरियर टेक्नीक	40%	श्रेणी 3
168	बोन ग्राफ्ट/डिवाइस के साथ या बिना डॉर्सल और डॉर्सोलंबर फ्यूज़न, एंटीरियर टेक्नीक	40%	श्रेणी 3

169	बोन ग्राफ्ट/डिवाइस के साथ या बिना डॉर्सल और डॉर्सोलंबर फ्यूज़न, पोस्टीरियर टेक्नीक	40%	श्रेणी 3
170	बोन ग्राफ्ट/डिवाइस के साथ या बिना एंटीरियर लंबर इंटरबॉडी फ्यूज़न (एएलआईएफ)	40%	श्रेणी 3
171	बोन ग्राफ्ट/डिवाइस के साथ या बिना लंबर और लंबोसैक्रल फ्यूज़न, लेटरल ट्रांसवर्स प्रोसेस टेक्नीक	40%	श्रेणी 3
172	बोन ग्राफ्ट/डिवाइस के साथ या बिना लंबर और लंबोसैक्रल फ्यूज़न, पोस्टीरियर लंबर इंटरबॉडी फ्यूज़न (पीएलआईएफ)	40%	श्रेणी 3
173	बोन ग्राफ्ट/डिवाइस के साथ या बिना लंबर और लंबोसैक्रल फ्यूज़न, ट्रांसफोरामिनल लंबर इंटरबॉडी फ्यूज़न (टीएलआईएफ)	40%	श्रेणी 3
174	हाथ का एम्प्यूटेशन	20%	श्रेणी 4
175	पैर का एम्प्यूटेशन	20%	श्रेणी 4
176	नी जॉइंट की कैविटी पर थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपिक ऑपरेशन	20%	श्रेणी 4
177	ट्रॉमेटिक एम्प्यूटेशन के बाद फिंगर का रीप्लांटेशन	20%	श्रेणी 4
178	ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए सर्जिकल ड्रेनेज और क्यूरेटेज	20%	श्रेणी 4
179	एल्बो, रिस्ट, शोल्डर, हिप, एंकल और नी का डिसआर्टिक्युलेशन	20%	श्रेणी 4
180	हाथ के अंगूठे का रीअटैचमेंट	20%	श्रेणी 4
181	पैर की उंगली का रीअटैचमेंट	20%	श्रेणी 4
182	पैर का रीअटैचमेंट	20%	श्रेणी 4
183	ह्यूमरस का इंटर्नल फिक्सेशन के साथ फ्रैक्चर का ओपन रिडक्शन	20%	श्रेणी 4
184	रेडियस और अल्ना का इंटर्नल फिक्सेशन के साथ फ्रैक्चर का ओपन रिडक्शन	20%	श्रेणी 4
185	फीमर का इंटर्नल फिक्सेशन के साथ फ्रैक्चर का ओपन रिडक्शन	20%	श्रेणी 4
186	टिबिया और फिबुला का इंटर्नल फिक्सेशन के साथ फ्रैक्चर का ओपन रिडक्शन	20%	श्रेणी 4
187	घुटने के सेमिलुनर कार्टिलेज का एक्सिज़न	20%	श्रेणी 4
188	सायनोवेक्टमी, घुटना	20%	श्रेणी 4

189	घुटने का फाइव–इन–वन रिपेयर (मीडियल मेनिसेक्टमी, मीडियल कॉलेटरल लिगामेंट रिपेयर, वास्टस मीडियलिस एडवांसमेंट, सेमिटेंडिनोसस एडवांसमेंट, और पेस एन्सेराइनस ट्रांसफर)	20%	श्रेणी 4
190	ट्रायड नी रिपेयर (एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और मीडियल कॉलेटरल लिगामेंट की मरम्मत के साथ मीडियल मेनिसेक्टमी ओडोनोघू प्रोसीजर)	20%	श्रेणी 4
191	लोअर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट के क्रूसिएट लिगामेंट्स की मरम्मत	20%	श्रेणी 4
192	शोल्डर जॉइंट की कैविटी पर थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपिक ऑपरेशन	20%	श्रेणी 4
6	**ओरो–मैक्सिलोफेशियल सर्जरी (मुख और जबड़े की शल्य चिकित्सा)**		
193	मैंडिब्युलर और मैक्सिलरी लीज़न के लिए बोन ग्राफ्टिंग के साथ ऑस्टियोटॉमी, जिसमें सेगमेंटल रिसेक्शन शामिल है	60%	श्रेणी 2
194	स्कल के कंपाउंड फ्रैक्चर की डिब्राइडमेंट (ट्रॉमा या बर्न्स के कारण और कॉस्मेटिक उद्देश्य के लिए नहीं)	60%	श्रेणी 2
195	ट्रॉमा या जलने के कारण स्कल फ्रैक्चर का डीकंप्रेशन (ट्रॉमा या बर्न्स के कारण और कॉस्मेटिक उद्देश्य के लिए नहीं)	60%	श्रेणी 2
196	स्कल फ्रैक्चर का रिडक्शन (ट्रॉमा या बर्न्स के कारण और कॉस्मेटिक उद्देश्य के लिए नहीं)	60%	श्रेणी 2
197	ऑर्बिटल फ्रैक्चर/ऑर्बिट रिम या वॉल का क्लोज़्ड/ओपन रिडक्शन (ट्रॉमा या जलने के कारण और कॉस्मेटिक उद्देश्य के लिए नहीं)	40%	श्रेणी 3
7	**एंडोक्राइन सिस्टम (अंतःस्रावी तंत्र)**		
198	एड्रीनल ग्लैंड का यूनिलेटरल/बाइलेटरल एक्सिज़न	60%	श्रेणी 2
199	थायरॉइड ग्लैंड का कम्प्लीट एक्सिज़न	60%	श्रेणी 2
200	पैराथायरॉइड ग्लैंड का कम्प्लीट एक्सिज़न	60%	श्रेणी 2
201	एड्रीनल ग्लैंड्स का पार्शियल एक्सिज़न	40%	श्रेणी 3
202	थायरॉइड ग्लैंड का पार्शियल एक्सिज़न	40%	श्रेणी 3
203	पैराथायरॉइड ग्लैंड का पार्शियल एक्सिज़न	40%	श्रेणी 3
204	यूनिलेटरल थायरॉइड लोबेक्टमी/ हेमिथायरॉइडेक्टमी	40%	श्रेणी 3

8	**रीनल/जेनिटो यूरिनरी सिस्टम (गुर्दा और मूत्र–जननांग तंत्र)**		
205	रेडिकल प्रोस्टेटोवेसिक्युलेक्टमी	60%	श्रेणी 2
206	ट्रॉमेटिक एम्प्यूटेशन के बाद पेनिस का माइक्रोवैस्कुलर रीअटैचमेंट	60%	श्रेणी 2
207	चिकित्सकीय सलाह के कारण टोटल नेफ्रेक्टमी (ट्रांसप्लांट डोनर के रूप में नहीं)	40%	श्रेणी 3
208	चिकित्सकीय सलाह के कारण पार्शियल नेफ्रेक्टमी (ट्रांसप्लांट डोनर के रूप में नहीं)	40%	श्रेणी 3
209	किडनी के लीज़न का ओपन एक्सटर्पेशन	40%	श्रेणी 3
210	पार्शियल यूरेटेरेक्टमी (यूरेटर के लीज़न का एक्सिज़न/रीइम्प्लांटेशन के साथ यूरेटर को छोटा करना)	40%	श्रेणी 3
211	ब्लैडर का टोटल एक्सिज़न (यूरेथ्रेक्टमी के साथ टोटल सिस्टेक्टमी)	40%	श्रेणी 3
212	किडनी इंजरी रिपेयर	40%	श्रेणी 3
213	पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन ऑब्सट्रक्शन के लिए पाइलोप्लास्टी/यूरेटेरोकैल्साइकोस्टमी	40%	श्रेणी 3
214	पेनिस का एम्प्यूटेशन	40%	श्रेणी 3
215	टोटल यूरेटेरेक्टमी	40%	श्रेणी 3
216	नॉन स्पेसिफाइड यूरेट्रेक्टमी	40%	श्रेणी 3
217	नेफ्रोटॉमी	40%	श्रेणी 3
218	रेडिकल सिस्टेक्टमी	40%	श्रेणी 3
219	पार्शियल सिस्टेक्टमी (यूरिनरी ब्लैडर) – ट्राइगोनेक्टमी, ब्लैडर का वेज रिसेक्शन, ब्लैडर का एक्सिज़न	20%	श्रेणी 4
220	यूरेटर पर थेरेप्यूटिक यूरेटेरोस्कोपिक ऑपरेशन	20%	श्रेणी 4
221	यूरीनरी डाइवर्शन	20%	श्रेणी 4
222	यूरेटर का रीप्लांटेशन	20%	श्रेणी 4
223	टेस्टेस का यूनिलेटरल या बाइलेटरल एक्सिज़न	20%	श्रेणी 4
224	स्क्रोटम और ट्यूनिका वेजाइनलिस टेस्टिस पर अन्य ऑपरेशन	20%	श्रेणी 4
225	टेस्टिस का रिकंस्ट्रक्शन	20%	श्रेणी 4
226	प्रोस्टेट टिश्यू का ओपन सर्जिकल एक्सिज़न और विनाश	20%	श्रेणी 4
227	सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी	20%	श्रेणी 4
228	रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी	20%	श्रेणी 4

229	ब्लैडर लीज़न/टिश्यू का एंडोस्कोपिक रिसेक्शन	20%	श्रेणी 4
230	ऑर्कियोपेक्सी	20%	श्रेणी 4
231	रेडिकल बाइलेटरल ऑर्किएक्टमी (एपिडिडिमेक्टमी और लिम्फ नोड डाइसेक्शन के साथ)	20%	श्रेणी 4
9	**ऑर्गन ट्रांसप्लांट (अंग प्रत्यारोपण)**		
232	हार्ट/हार्ट-लंग ट्रांसप्लांट	100%	श्रेणी 1
233	बोन मेरो ट्रांसप्लांट (रेसिपिएंट के रूप में)	100%	श्रेणी 1
234	लंग ट्रांसप्लांटेशन (रेसिपिएंट के रूप में)	100%	श्रेणी 1
235	लिवर ट्रांसप्लांटेशन (रेसिपिएंट के रूप में)	100%	श्रेणी 1
236	रीनल ट्रांसप्लांट (रेसिपिएंट के रूप में)	100%	श्रेणी 1
10	**ईएनटी**		
237	रिकंस्ट्रक्शन के साथ टोटल इयर एम्प्यूटेशन	60%	श्रेणी 2
238	एक्सटेंडेड मैस्टॉइडेक्टमी के साथ ट्रांसमैस्टॉइड रिमूवल कोलेस्टिएटोमा	60%	श्रेणी 2
239	ट्रॉमेटिक लीज़न के कारण टोटल नेज़ल रिकंस्ट्रक्शन	60%	श्रेणी 2
240	विभिन्न लीज़न के लिए लैबिरिंथोटॉमी	40%	श्रेणी 3
241	फ्रंटल साइनस पर ऑपरेशन	40%	श्रेणी 3
242	सबलेबियल अप्रोच का उपयोग करके मैक्सिलरी एंट्रम पर ऑपरेशन	20%	श्रेणी 4
11	**आंख**		
243	ऑर्बिट ट्यूमर एक्सेंटरेशन/फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन	40%	श्रेणी 3
244	ट्रॉमेटिक आई इंजरीज़ के लिए कॉर्नियल या रेटिनल रिपेयर	20%	श्रेणी 4
245	आंख की पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ या रप्चर्ड ग्लोब की मरम्मत	20%	श्रेणी 4
12	**गाइनेकोलॉजी (स्त्री रोग विज्ञान)**		
246	मैलिग्नेंट स्थितियों के लिए हिस्टेरेक्टमी	60%	श्रेणी 2
247	वेजाइना का एक्सिज़न	40%	श्रेणी 3
248	यूटेरस के एडनेक्सा का यूनिलेटरल या बाइलेटरल एक्सिज़न	40%	श्रेणी 3
249	वल्वा के लीजन का एक्सटर्पेशन	20%	श्रेणी 4
250	वल्वा का एक्सिज़न	20%	श्रेणी 4

13	**स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरी**		
251	स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरी – सिंगल सोर्स फोटॉन रेडियोसर्जरी (लीनियर एक्सेलेरेटर–लिनाक/हाई एनर्जी एक्स–रेज़)	60%	श्रेणी 2
252	स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरी – पार्टिक्युलेट रेडियोसर्जरी (पार्टिकल बीम रेडिएशन (साइक्लोट्रॉन)/प्रोटॉन एक्सेलेरेटर)	60%	श्रेणी 2
253	स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरी – मल्टी–सोर्स फोटॉन रेडियोसर्जरी (कोबाल्ट 60 रेडिएशन/गामा इरेडिएशन)	60%	श्रेणी 2
254	अन्य स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरी	40%	श्रेणी 3
14	**अन्य**		
255	लिम्फोएडेमा का मेजर एक्सिज़न और ग्राफ्टिंग	60%	श्रेणी 2
256	रेडिकल मैस्टेक्टमी	60%	श्रेणी 2
257	मैलिग्नेंट सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर एक्सिज़न और रिकंस्ट्रक्शन	40%	श्रेणी 3
258	मेजर बर्न्स के कारण स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू का एक्सिज़न और मेजर फ्लैप रिपेयर	40%	श्रेणी 3
259	रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर का एक्सिज़न	40%	श्रेणी 3
260	ओरल ल्यूकोप्लाकिया के लिए वाइड लोकल एक्सिज़न	20%	श्रेणी 4
261	सिंपल मैस्टेक्टमी	20%	श्रेणी 4
262	हर्निया की मरम्मत – इंगुइनल, इंसिज़नल, फेमोरल, अम्बिलिकल	20%	श्रेणी 4
263	बोन्स में मैलिग्नेंट ट्यूमर का रेडिकल एक्सिज़न	20%	श्रेणी 4

पंजीकृत कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम जीवन बीमा
मार्ग, मुंबई - 400021
वेबसाईट: **www.licindia.in**
पंजीकरण संख्या: 512